शिमला से प्रकाशित

सरोकारी पत्रकारिता के लिए समर्पित

शैल

निष्पक्ष एवं निर्भीक साप्ताहिक समाचार

प्रकाशन का 50 वां वर्ष

ई – पेपर

www.facebook.com/shailsamachar

प्रदेश का पहला ऑनलाईन साप्ताहिक

वर्ष 50 अंक – 39 पंजीकरण आरएनआई 26040/74 डाक पजींकरण एच. पी./93 /एस एम एल Valid upto 31-12-2026 सोमवार 22 – 29 सितम्बर 2025 मूल्य पांच रूपये

सीमेंट पर जीएसटी घटाने से प्रदेश को 1000 करोड़ रुपये का नुकसान:राजेश धर्माणी

शिमला/शैल। तकनीकी शिक्षा एवं नगर नियोजन मंत्री

राजेश धर्माणी ने राज्य सरकार द्वारा सीमेंट की कीमत पांच रुपये प्रति बैग करने के निर्णय का समर्थन करते हुए कहा कि जीएसटी को युक्तिसंगत बनाने से राफज्य को भारी नुकसान हुआ है इसलिये सीमेंट की दरों का युक्तिकरण आवश्यक हो गया था। पहले से ही आपदाओं की मार झेल रहे राज्य को जीएसटी परिषद द्वारा सीमेंट की दरें 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत करने से लगभग 1000 करोड़ रुपये का प्रत्यक्ष नुकसान हुआ है।

मंत्री ने कहा कि मूल्य वर्धित कर (वैट) व्यवस्था के दौरान, जीएसटी से पहले राज्य का राजस्व लगभग 16 प्रतिशत की दर से बढ़ रहा था। जून, 2017 के बाद उपभोग आधारित कराधान प्रणाली जीएसटी के युक्तिकरण के बाद राजस्व घटकर मात्र 7 से 8 प्रतिशत रह गया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार का यह निर्णय बड़े राज्यों को लाभ पहुंचाने के लिए है जहां खपत अधिक है। लेकिन हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर तथा उत्तराखंड जैसे राज्य इससे सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं।

उन्होंने कहा कि जीएसटी परिषद ने आश्वासन दिया था कि हिमाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी राज्यों को नुकसान की भरपाई की जाएगी और राजस्व वृद्धि वैट व्यवस्था के दौरान 16 प्रतिशत तक पहुंचने तक क्षतिपूर्ति उपकर प्रदान किया जाएगा। आश्वासन के बावजूद, जून 2022 में यह क्षतिपूर्ति उप-कर बंद कर दिया गया। नतीजतन, राज्य के पास राजस्व सृजित करने के संसाधन कम हो गए जिसका विपरीत प्रभाव वित्तीय स्थिति पर पड़ा।

राजेश धर्माणी ने कहा कि राज्य के पास जो संसाधन उपलब्ध हैं, उनमें संसाधन सृजन के अधिक विकल्प नहीं हैं। प्रदेश को वर्ष 2023 से लगातार मानसून की तबाही झेलने के कारण लगभग 16,000 करोड़ रुपये के नुकसान के साथ आपदाओं का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। जीएसटी परिषद द्वारा सीमेंट पर जीएसटी को 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत करने के निर्णय से राज्य वित्तीय रूप से घाटे में चला गया है।

उन्होंने कहा कि जीएसटी परिषद की बैठक और सीमेंट की कीमतों में कमी के बाद राज्य को लगभग 1000 करोड़ रुपये का सीधा नुकसान हुआ है और इसी कारण से सरकार ने सीमेंट की दर बढ़ाकर मात्र पांच रुपये कर दी है, लेकिन इससे भी राज्य को युक्तिकरण के कारण हुए नुकसान की भरपाई नहीं हो सकेगी। उन्होंने कहा कि कम जनसंख्या वाला एक छोटा पहाड़ी राज्य होने के कारण हिमाचल में बेहतर प्रवर्तन और रिटर्न के समय पर अनुपालन आदि के बावजूद खपत में वृद्धि की बहुत कम संभावना है। जीएसटी राजस्व में कम वृद्धि के अलावा, जीएसटी मुआवजे को बंद करने से भी राज्य के खजाने पर काफी दबाव पड़ रहा है।

उल्लेखनीय है कि जीएसटी मुआवजे के अभाव में राज्य को जुलाई 2025 तक 17,000 करोड़ रुपये का राजस्व घाटा हुआ है। उन्होंने विपक्ष के बयान का खंडन करते हुए कहा कि अगर वे वित्तीय ढांचे को बेहतर ढंग से समझ पाते, तो सीमेंट के एक बैग पर पांच रुपये की बढ़ोतरी पर इतना हंगामा नहीं करते। उन्हें समझना चाहिए कि जीएसटी को तर्कसंगत बनाने से राज्य को 1,000 करोड़ रुपये से ज्यादा का नुकसान हुआ है। सिर्फ सीमेंट पर जीएसटी कम करने से ही राजस्व में 150 से 200 करोड़ रुपये की कमी आएगी, जिससे राज्य के खजाने पर अतिरिक्त दबाव पड़ेगा।

धर्माणी ने कहा कि जीएसटी के युक्तिकरण से हिमाचल प्रदेश को कुल मिलाकर लगभग 1000 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है जबकि युक्तिकरण से पहले लगभग 5300 करोड़ रुपये मिल रहे थे। हालांकि जीएसटी में कमी लाने से गरीब और मध्यम वर्गों को अपनी बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने में राहत मिलेगी लेकिन करों से प्राप्त होने वाले राजस्व का उपयोग विकासात्मक कार्यों के लिए किया जाता था। अब लगभग एक हजार करोड़ रुपये का नुकसान होने से विकास कार्य प्रभावित होंगे।

आपदा प्रभावितों को राज्य स्तरीय बैंकर्ज समिति की तरफ से बड़ी राहत प्रदान

शिमला/शैल। आपदा का दंश झेल रहे प्रदेशवासियों के लिए राज्य स्तरीय बैंकर्ज समिति की तरफ से बड़ी राहत प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। समिति की तरफ से बैंकों को यह सुझाव दिया गया कि जिन प्रदेशवासियों की संपत्ति 2025 की मानसून में आंशिक या फिर पूरी तरह से क्षतिग्रस् हुई है उनके कर्ज की ईएमआई को बढ़ाया जाये और मोरेटोरियम अवधि प्रदान की जाए। इसके अलावा ऋण की किस्त में स्थगन भी किया जाये, विशेष रूप से एमएसएमई, ऋणग्राही और अन्य खुदरा ऋणग्राही।

राजधानी शिमला में हुई 177वीं राज्य स्तरीय बैंकर्ज समिति की बैठक, हाल की मानसून में हुए नुकसान और हानियों के कारण अग्रिम राशियों के पुनर्गठन-हिमाचल प्रदेश राज्य में प्राकृतिक आपदाएं विषय पर आयोजित की गई। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि आरबीआई और नाबार्ड के प्रचलित दिशानिर्देशों के तहत राज्य के प्रभावित लोगों तक राहत उपाय तुरंत पहुंचाए जाने चाहिए। दिशानिर्देशों के राहत उपायों के अंतर्गत, यह सुझाव दिया गया कि कर्ज की ईएमआई को बढ़ाया जाए, मोरेटोरियम अवधि प्रदान की जाए और ऋण की किस्त में स्थगन किया जाये, विशेष रूप से एमएसएमई ऋणग्राही और अन्य खुदरा ऋणग्राही के लिए जिनकी संपत्ति मानसून 2025 के दौरान आंशिक या पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई हो और बैंक को यह मार्गदर्शन अपने बोर्ड से मंजूरी प्राप्त कराना चाहिए।

कृषि ऋण मामलों के मामले में, राज्य सरकार के संबंधित विभाग से एसएलबीसी द्वारा फसल हानि सर्वेक्षण करने का अनुरोध किया गया है और इन कृषि उधारकर्ताओं को केवल तभी लाभ मिलेगा जब फसल हानि का अनुमान 33% से अधिक हो। संदर्भ तिथि 19.6.2025 अनुमानित की गई है, यानी इस दिन तक सभी ऐसे खातों की देयता नहीं होनी चाहिए। यह भी निर्णय लिया गया कि लाभ को समाज के बड़े वर्ग तक पहुंचाने और ऐसे राहत उपायों की प्रगति की निगरानी करने के लिए एक उप-समिति का गठन किया जायेगा, यदि कोई नियामक निकायों से छूट मांगी जाती है।

सभी प्रतिभागियों की उपस्थिति और सहयोग के मामले में बैठक सफल रही और इसमें राज्य सरकार के मुख्य सचिव और वित्त सचिव, आरबीआई के क्षेत्रीय निदेशक, NABARD के CGM, विभिन्न बैंकों के राज्य समन्वयक, LDMs और अन्य राज्य सरकारी विभागों के अधिकारी सक्रिय रूप से भाग लेने के माध्यम से शामिल थे।

राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण अक्तूबर माह में आयोजित करेगा जन जागरूकता अभियान ''समर्थ–2025''

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एचपीएसडीएमए) 1 से 31 अक्तूबर, 2025 तक अपना प्रमुख जन जागरूकता अभियान ''समर्थ–2025'' आयोजित करेगा। एक महीने तक चलने वाला यह अभियान पूरे राज्य में आपदा तैयारी, सुरक्षित निर्माण प्रथाओं और सामुदायिक लचीलेपन को बढ़ावा देने पर विशेष ध्यान देते हुए चलाया जाएगा।

इस अभियान की जानकारी देते हुए निदेशक और विशेष सचिव (राजस्व एवं आपदा प्रबंधन) डी.सी. राणा ने बताया कि संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 1989 में घोषित अंतरराष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस (आईडीडीआरआर) हर साल 13 अक्तूबर को जोखिम जागरूकता और लचीलेपन की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए विश्व स्तर पर मनाया जाता है। इस वर्ष का विषय–''आपदाओं के बजाये लचीलेपन को धन जुटाएं'' होगा जो आपदाओं की मानवीय, सामाजिक और आर्थिक लागत को कम करने के लिए लचीलेपन के उपायों में सक्रिय रूप से निवेश करने की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डालता है।

उन्होंने कहा कि आईडीडीआरआर के उपलक्ष्य में राज्य आपदा प्राधिकरण ने 2011 में समर्थ का शुभारंभ किया था। तब से यह आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर एक राज्यव्यापी वार्षिक अभियान के रूप में विकसित हुआ है, जो हर साल अक्तूबर में मनाया जाता है। पिछले कुछ वर्षों में यह अभियान एक जन–केंद्रित पहल के रूप में विकसित हुआ है जो हिमाचल प्रदेश में तैयारियों और लचीलेपन को मजबूत करने के लिए सरकारी विभागों, संस्थानों और समुदायों को एक साथ लाता है।

डी.सी. राणा ने कहा कि राज्य स्तरीय समारोह 13 अक्तूबर को शिमला में आयोजित किया जाएगा, जो आईडीडीआरआर के वैश्विक पालन के साथ मेल खाता है। इस अवसर को चिन्हित करने के लिए आपदा तैयारी और प्रतिक्रिया उपकरण, प्रौद्योगिकियों और उत्पादों पर पांच दिवसीय प्रदर्शनी 13 से 17 अक्तूबर तक शिमला के रिज स्थित पदम देव कॉमप्लेक्स में आयोजित की जाएगी। समर्थ–2025 के हिस्से के रूप में, प्राधिकरण और सभी जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा राज्य में विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। इन गतिविधियों के अंतर्गत संबंधित विभागों, गैर–सरकारी संगठनों, शैक्षणिक संस्थानों और सामुदायिक संगठनों का सक्रिय समर्थन होगा। अभियान में मल्टीमीडिया प्लेटफार्म, नुक्कड़ नाटकों, लोक प्रदर्शनों और सूचना एवं संचार तकनीक सामग्री के प्रसार के माध्यम से जागरूकता अभियानए स्कूल और कॉलेज स्तर की प्रतियोगिताएं जैसे सुरक्षित निर्माण मॉडल निर्माण प्रतियोगिताएं, क्विज़, पोस्टर और निबंध लेखन तथा मॉक ड्रिल और शहरी स्थानीय निकायों के लिए विशेष कार्यशालाएं शामिल होंगी। इनके माध्यम से लचीली शहरी नियोजन और सुरक्षित निर्माण प्रथाओं पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। 2 अक्तूबर को ग्रामसभा की बैठकों के दौरान पंचायती राज संस्थाओं, आपदा मित्रों और तकनीकी कर्मियों के माध्यम से सामुदायिक सहभागिता को और मज़बूत किया जाएगा।

प्राधिकरण ने सभी नागरिकों, संस्थाओं और हितधारकों से समर्थ–2025 में सक्रिय रूप से भाग लेने और एक आपदा–प्रतिरोधी हिमाचल प्रदेश के निर्माण में योगदान देने की अपील की है।

राज्यपाल ने ठियोग में एल्ब्रस रिजॉर्ट का उद्घाटन किया

शिमला/शैल। राज्यपाल ने जिला शिमला के ठियोग उप–मण्डल

में नवनिर्मित एल्ब्रस रिजॉर्ट का उद्घाटन किया।

इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि हाल की प्राकृतिक आपदाओं के उपरान्त अब हिमाचल की स्थिति धीरे–धीरे सामान्य हो रही है जिससे आगामी दिनों में प्रदेश में पर्यटन गतिविधियों को गति मिलेगी।

शुक्ल ने कहा कि पर्यटन हिमाचल की अर्थव्यवस्था के सबसे मजबूत स्तभों में एक है। प्रत्येक नई पहले के साथ प्रदेश न केवल एक वैश्विक गंतव्य के रूप में विकसित होगा बल्कि स्थानीय समुदाय और युवा भी सशक्त होंगे।

राज्यपाल ने कहा कि हिमाचल प्रदेश अपनी प्राकृतिक सुन्दरता और आतिथ्य सत्कार के लिए जाना जाता है और यह वैश्विक पर्यटकों के पसंदीदा गंतव्यों में भी एक है। उन्होंने कहा कि पर्यटन गतिविधियों के दोबारा शुरू होने से न केवल स्थानीय अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा बल्कि स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित होंगे।

उन्होंने कहा कि ठियोग में एल्ब्रस रिजॉर्ट खुलने से क्षेत्र में पर्यटन गतिविधियों को बल मिलेगा। सैलानी यहां आधुनिक सुविधाओं के साथ–साथ इस सुंदर पहाड़ी क्षेत्र की प्राकृतिक सुन्दरता और स्वास्थ्यवर्द्धक जलवायु का अनुभव कर सकेंगे।

राज्यपाल के सचिव सी.पी. वर्मा भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

हिमाचल को एस्ट्रो–टूरिज्म गंतव्य के रूप में विकसित किया जा रहा

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश में पर्यटन के विविध आयामों को विस्तार प्रदान किया जा रहा है। पर्यटन क्षेत्र में नवाचार पहल के तहत हिमाचल को एस्ट्रो–टूरिज्म गंतव्य के रूप में विकसित किया जा रहा है। इस कड़ी में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने जिला लाहौल–स्पीति के काजा में स्टार गेजिंग सुविधा का शुभारम्भ किया है। इससे स्थानीय लोगों को स्वरोजगार के अवसर प्राप्त होंगे, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी तथा पर्यटकों की अधिक आवाजाही सुनिश्चित होगी।

मुख्यमंत्री का कहना है कि पर्यटन के क्षेत्र में यह एक नए अध्याय की शुरूआत है। स्थानीय लोगों को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के लिए उच्च स्तरीय कम्प्यूटरीकृत दूरबीन प्रदान की गई है। स्पीति का स्वच्छ वातावरण खगोल पर्यटन और स्टार गेजिंग गतिविधियों के लिए सर्वोत्तम है, जिससे क्षेत्र में आने वाले पर्यटक दूरबीनों के माध्यम से स्टार गेजिंग कर सकेंगे। सरकार की इस अभिनव पहल से स्पीति एस्ट्रो–टूरिज्म गतंव्य के रूप में स्थापित होगा। काजा, लांगजा और रंगरिक क्षेत्रों के लोग इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए आगे आ रहे हैं। लाभार्थियों को बुधवार को दूरबीन संबंधी प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।

प्रदेश सरकार राज्य के जनजातीय क्षेत्रों में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा प्रदान कर रही है। स्पीति के 14,500 फुट पर स्थित लांगजा को जीवाश्म गांव के रूप में भी जाना जाता है। यहां पर पुरातन जीवाश्म पाए गए हैं। घाटी के ग्रामीणों का मानना है कि लांगजा देवी–देवताओं का घर है। सरकार की इस प्रकार की पहलों से राज्य के अनछुए गंतव्यों में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा।

प्रदेश सरकार कि इस पहल से क्षेत्र में खगोलविद और अंतरिक्ष विज्ञान में रूचि रखने वाले शोधकर्ता, पर्यटक स्टार गेजिंग के साथ स्पीति के अनुपम सौन्दर्य और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत देख और जान सकेंगे। सरकार की यह पहल विज्ञान और संस्कृति को जोड़ने का काम कर रही है। इससे क्षेत्र में होम–स्टे और होटल उद्यमियों को भी लाभ मिलेगा। जुलाई, 2025 तक लगभग 1,58,580 देशी और 4,570 विदेशी पर्यटकों ने स्पीति और लांगजा की खुबसूरत वादियों को निहारा।

प्रदेश सरकार के सीमा पर्यटन को बढ़ावा देने के प्रयास सार्थक साबित हो रहे हैं। भारत और चीन सीमा व्यापार फिर खोलने पर सहमत हो गए हैं और शिपकी–ला मार्ग से कैलाश मानसरोवर यात्रा करवाने की सहमति बनी है। भारत और चीन तीन निर्दिष्ट व्यापारिक बिंदुओं– लिपुलेख, शिपकी–ला और नाथू–ला दर्रों से सीमा व्यापार फिर खोलने पर सहमत हो गए हैं।

पर्यटन मंत्रालय द्वारा मुख्यमंत्री को अवगत करवाया गया है कि किन्नौर के शिपकी–ला पास से अतिरिक्त मार्ग के रूप में मानसरोवर यात्रा को शुरू किया जाएगा। राज्य सरकार कानूनी औपचारिकताओं को पूर्ण करने के लिए अब केन्द्रीय वाणिज्य मंत्रालय के समक्ष यह मामला उठाएगी।

प्रदेश सरकार की यह पहल पारम्परिक सीमा व्यापार को नया जीवन प्रदान करने और हिमाचल प्रदेश में पर्यटन, सांस्कृतिक आदान–प्रदान और आर्थिक विकास के नए रास्ते खोलने में सहायक होगी।

कांगड़ा जिले में MSME योजनाओं पर दो दिवसीय कार्यशाला संपन्न

शिमला/शैल। कांगड़ा जिले में 26 और 27 सितम्बर, 2025 को सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (MSME) योजनाओं पर दो दिवसीय जागरूकता कार्यशाला आयोजित की गई। पहला कार्यक्रम 26 सितम्बर को I.A. संसारपुर टैरेस में हुआ, जबकि दूसरा सत्र 27 सितम्बर को धर्मशाला में आयोजित किया गया। इस पहल का उद्देश्य स्थानीय उद्यमियों तक नवीनतम सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचाना और जिले के औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन देना था।

संसारपुर टैरेस में आयोजित कार्यशाला का उद्घाटन जिला उद्योग

केंद्र, कांगड़ा के महाप्रबंधक ओम प्रकाश जारियाल ने मुख्य अतिथि के रूप में किया। MSME रत्न पुरस्कार से सम्मानित डॉ.अशोक पाठानिया विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित रहे।

मुख्य अतिथि ने अपने संबोधन में केंद्र एवं राज्य सरकार की विभिन्न औद्योगिक प्रोत्साहन योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने विशेष रूप से RAMP कार्यक्रम और अन्य MSME पहल की उपयोगिता पर प्रकाश डाला और बताया कि सरकार उद्यमियों को हर संभव सहयोग देने के लिए प्रतिबद्ध है।

इस अवसर पर पुणे से आए साहिल विशेषज्ञ डॉ. साल्वी ने SPICE और GIFT योजनाओं पर व्याख्यान दिया, जिनका उद्देश्य नवोन्मेषी स्टार्टअप्स और उद्यमों को प्रोत्साहित करना है। फार्मास्यूटिकल इकाइयों के उद्यमियों ने इस सत्र में विशेष रुचि दिखाई और MSE–CDP योजना के तहत एक फार्मा क्लस्टर स्थापित करने में अपनी इच्छा प्रकट की।

सत्र में 50 से अधिक स्थानीय उद्यमियों ने भाग लिया, जो जिले के उद्योग जगत की सकारात्मक प्रतिक्रिया को दर्शाता है।

दूसरा सत्र धर्मशाला में हुआ, जिसमें RAMP, MSE–CDP और ग्रीनिंग ऑफ MSMEs विषयों पर विस्तृत चर्चा हुई।

इस कार्यशाला का संचालन जिला उद्योग केंद्र धर्मशाला के महाप्रबंधक ओम प्रकाश जारियाल और प्रबंधक दिनेश के. उपाध्याय ने किया।

सत्र में उद्योग विभाग, हिमाचल प्रदेश कि ओर से संदीप शर्मा और जिला उद्योग केंद्र से दीपक बक्शी ने जानकारी साझा की। कुल 58 प्रतिभागियों ने कार्यशाला में हिस्सा लिया और सतत विकास तथा क्लस्टर विकास की संभावनाओं पर जानकारी प्राप्त की। इसमें उद्यमियों को प्रोत्साहित किया गया कि वे सरकारी योजनाओं का लाभ उठाकर व्यवसाय में हरित और नवीन तकनीकों को अपनाएं।

दोनों सत्रों में कुल मिलाकर 100 से अधिक उद्यमियों ने भाग लिया। कार्यशालाएं उत्साहपूर्ण सहभागिता, रचनात्मक चर्चाओं और सरकारी योजनाओं से उद्योग क्षेत्र को नए अवसर प्रदान करने की साझा प्रतिबद्धता के साथ संपन्न हुई।

जिला उद्योग केंद्र, कांगड़ा के महाप्रबंधक ओम प्रकाश जारियाल ने उद्योग निदेशालय, शिमला का आभार प्रकट किया और स्थानीय MSMEs के समर्थन हेतु हिमाचल सरकार की निरंतर क्षमता–वृद्धि पहलों को आगे बढ़ाने का आश्वासन दिया।

नशे की रोकथाम के लिए एंटी–चिट्टा वालंटियर योजना होगी शुरू एक हजार से अधिक वालंटियर किए जाएंगे तैनात

शिमला/शैल। प्रदेश सरकार नशे की रोकथाम के लिए चलाए जा रहे अभियान को और सशक्त बनाने के लिए एंटी–चिट्टा वालंटियर योजना (एसीवीएस) आरम्भ करने जा रही है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू द्वारा मंडी जिले के सरकाघाट में स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान की गई घोषणा के अनुरूप पुलिस विभाग द्वारा एक विस्तृत प्रदेश सरकार को प्रस्ताव भेजा गया है।

इस योजना के अन्तर्गत 1000 एंटी–चिट्टा वालंटियर तैनात किए जाएंगे जो पुलिस, जो जनता और अन्य हित धारकों के मध्य एक मजबूत सहभागिता सुनिश्चित करेंगे। यह वालंटियर समाज और युवाओं को चिट्टा और अन्य नशीले पदार्थों के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक करेंगे, संदिग्ध गतिविधियों, हॉट–स्पॉट और अपराधियों की गुप्त रूप से जानकारी पुलिस को देंगे। यह स्कूलों, कॉलेजों व सामुदायों में जागरूकता कार्यक्रमों में सक्रिय भागीदारी निभाएंगे। इसके अलावा यह रैलियों, नुक्कड़ नाटकों, सोशल मीडिया और जागरूकता अभियानों में सहयोग करेंगे तथा प्रभावित व्यक्तियों को परामर्श एवं पुनर्वास केंद्रों से जोड़ेंगे। योजना के तहत पंजीकृत स्वयंसेवियों को सेवाओं के लिए मानदेय भी प्रदान किया जाएगा। इस नई योजना से जमीनी स्तर पर खुफिया तंत्र सुदृढ़ करने, युवाओं और समाज में जागरूकता लाने, प्रभावित लोगों को बेहतर पुनर्वास सेवा प्रदान करने और पुलिस–जनता के मध्य सहभागिता को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

उन्होंने कहा कि स्वयंसेवकों की सुरक्षा के दृष्टिगत इन्हें फील्ड आइडेनटिफिकेशन में शामिल नहीं किया जाएगा और पुलिस द्वारा इनकी पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी। संवेदनशील मामलों में इन्हें सुरक्षा भी प्रदान की जाएगी। इन स्वयंसेवकों के लिए दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगा जिसमें एनडीपीएस एक्ट की मूल जानकारी, पुलिस प्रक्रियाएं और सामुदायिक सहभागिता के संबंध में प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। प्रदेश सरकार युवाओं को नशे के चंगुल से बचाने के लिए पिछले अढ़ाई वर्षों से निरंतर सकारात्मक प्रयास कर रही है।

शैल समाचार
संपादक मण्डल

संपादक– बलदेव शर्मा
सयुक्त संपादकःजे.पी.भारद्वाज
विधि सलाहकार: ऋचा शर्मा

हिमाचल प्रदेश निवेश के लिए एक आकर्षक गंतव्य: मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने लंदन स्थित हाउस ऑफ लॉर्डस को संबोधित करने वाले देश के पहले मुख्यमंत्री बनकर इतिहास रचा है। इंडो-यूरोपियन बिजनेस फोरम द्वारा आयोजित शिखर सम्मेलन में मुख्यमंत्री ने अपना मुख्य भाषण दिया।

उन्होंने वैश्विक निवेशकों को हिमाचल प्रदेश में स्वच्छ ऊर्जा, पर्यटन, बागवानी, सूचना प्रौद्योगिकी और स्वास्थ्य क्षेत्रों में संभावनाएं तलाशने के लिए आमंत्रित किया। विश्वास और लचीलेपन की ठोस नींव पर आधारित निवेशक हितैषी नीति पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश निवेश के लिए एक आकर्षक गंतव्य है। इस अवसर पर उन्होंने राज्य की शत-प्रतिशत साक्षरता दर पर भी प्रकाश डाला।

सुक्खू ने कहा कि हिमाचल हर मौसम में विश्व भर के पर्यटकों के लिए पसंदीदा गंतव्य होने के साथ-साथ वैश्विक व्यापार की गतिविधियों का केंद्र बनकर भी उभरा है। राज्य सरकार 'व्यवस्था परिवर्तन से आत्मनिर्भर हिमाचल' के संकल्प पर कार्य करते हुए इसे आत्मनिर्भर राज्य बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। यह सिर्फ एक नारा नहीं है, बल्कि एक दृष्टिकोण है जिसे प्रदेशवासियों के सहयोग से साकार किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की दूरदर्शी नीतियों और योजनाओं के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश स्वच्छ और हरित ऊर्जा, पर्यटन, बागवानी, सूचना प्रौद्योगिकी, डेटा भंडारण और खाद्य प्रसंस्करण जैसे क्षेत्रों में तेजी से आगे बढ़ रहा है। हिमाचल देश में पहले ही जलविद्युत और नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। इन क्षेत्रों में यूरोपीयन विशेषज्ञता और भारतीय आकांक्षाएं मिलकर मील पत्थर स्थापित कर सकती हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल के सेबों ने एक वैश्विक ब्रांड के रूप में अपनी अलग पहचान कायम की है। अब राज्य सब्जियों, फूलों की खेती और अन्य उच्च मूल्य वाली फसलों के क्षेत्र में भी विस्तार कर रहा है और ये उत्पाद अंतरराष्ट्रीय बाज़ारों के लिए तैयार हैं। राज्य सरकार की अभिनव नीतियों ने प्राकृतिक खेती और डेयरी क्षेत्र में विकास के नए रास्ते खोले हैं। यूरोपीयन निवेशकों से स्वास्थ्य, जैविक उत्पादों और सतत् जीवनशैली में अवसरों को तलाशने का आहवान करते हुए उन्होंने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों में प्रदेश निरन्तर भारत के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों में शामिल है तथा सामाजिक क्षेत्र में उठाए गए कदम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं।

उन्होंने यूरोपीयन निवेशकों, उद्यमियों और इन्नोवेटरों को हिमाचल प्रदेश आने का निमंत्रण देते हुए आश्वस्त किया कि यहां उन्हें न केवल व्यावसायिक अवसर मिलेंगे बल्कि इससे विश्वास, स्थिरता और साझा मूल्यों पर आधारित साझेदारियां भी स्थापित होंगी।

मुख्यमंत्री को इस अवसर पर इंडो-यूरोपियन बिजनेस फोरम ने हिमाचल प्रदेश में उनके दूरदर्शी और परिवर्तनकारी नेतृत्व के लिए लीडरशीप एंड गवर्नेंस अवार्ड से सम्मानित किया।

आईईबीएफ के संस्थापक विजय गोयल, लॉर्ड डेविड इवांस, मंत्री कनिष्क नारायण, मंत्री सीमा मल्होत्रा, वीरेंद्र शर्मा, घाना से हिज एक्सीलैंसी सैमुअल महामा, श्रीलंका के पूर्व विदेश मंत्री और उच्चायुक्त डॉ. रोहितगा, डॉ. नीरजा बिड़ला, निहारिका हांडा, तेजेश कुमार कोडाली, सुबोध कुमार गुप्ता और संदीप साली भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

राजस्व लोक अदालतों में 4.33 लाख राजस्व मामलों का समाधान

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू के नेतृत्व में सुशासन को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए प्रदेश सरकार ने लोगों के लंबे समय से लंबित राजस्व मामलों को उनके घर-द्वार के समीप निपटाने के लिए राजस्व लोक अदालतों की शुरुआत की है।

यह लोक अदालतें उप-तहसील और तहसील स्तर पर नियमित रूप से आयोजित की जा रही हैं। अक्तूबर, 2023 से अगस्त, 2025 तक 4,33,242 से अधिक राजस्व मामले निपटाए जा चुके हैं। इनमें 3,60,105 इंतकाल, 22,592 तकसीम 39,835 निशानदेही और 10,710 रिकॉर्ड सुधार के मामले शामिल हैं। इस पहल से प्रदेश के लोगों को बड़ी राहत मिली है और उन्हें बार-बार सरकारी दफ्तरों में जाने से छुटकारा मिला है।

प्रदेश सरकार ने 30 अक्तूबर, 2023 से विशेष अभियान चलाकर राजस्व लोक अदालतों की शुरुआत की थी। यह लोक अदालतें अब हर महीने के अंतिम दो दिनों में नियमित रूप से आयोजित की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि पहली बार किसी राज्य सरकार ने मिशन मोड में राजस्व मामलों के निपटारे के लिए लोक अदालतों की शुरूआत की है और इसके बेहतर परिणाम सामने आए हैं।

एचपी एग्रो इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन ने पांच माह में 33 करोड़ रुपये का करोबार किया

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश कृषि उद्योग निगम लिमिटेड (एचपी एग्रो इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड) के निदेशक मंडल की 262वीं बैठक राजस्व, बागवानी, जनजातीय विकास एवं जन शिकायत निवारण मंत्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में आयोजित हुई।

बैठक में अवगत करवाया गया कि निगम ने वित्त वर्ष 2025-26 में 1 अप्रैल से 31 अगस्त तक पांच माह में 33 करोड़ रुपये (ऑडिट से पूर्व) का कारोबार और 93.34 लाख रुपये (ऑडिट से पूर्व) का शुद्ध लाभ अर्जित किया है।

बैठक में अवगत करवाया गया कि बीते वित्त वर्ष 2024-25 में इसी अवधि के दौरान निगम ने 40 करोड़ रुपये का कारोबार और 92.25 लाख रुपये का शुद्ध लाभ अर्जित किया था। निदेशक मंडल ने बताया कि इस बार वित्त वर्ष 2025-26 के अंत तक निगम के शुद्ध लाभ में और इजाफा होगा। बैठक में बताया गया कि निगम की आय के मुख्य स्रोतों में पेट्रोलियम उत्पाद, ल्यूब्रिकेंट्स, टायर टयूब, सीमेंट व कैटल एवं पोल्ट्री फीड का व्यापार शामिल है।

मानसून सीजन में प्रदेश को 5 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा का नुकसान: जगत सिंह नेगी

शिमला/शैल। राजस्व, बागवानी एवं जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी ने पत्रकार वार्ता में कहा कि केंद्र ने प्रदेश को 1500 करोड़ रुपये के राहत पैकेज की घोषणा की है लेकिन राज्य सरकार को अभी तक एक पाई भी नहीं मिली है। केंद्र सरकार की टीमों ने प्रदेश का दौरा कर नुकसान का मूल्यांकन किया है

लेकिन राहत के तौर पर अभी तक कोई मदद नहीं मिली है।

जगत सिंह नेगी ने कहा कि इस मानसून सीजन के दौरान राज्य को 5 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा का नुकसान का आकलन किया गया है जिसमें सरकारी व गैर-सरकारी संपत्ति शामिल है। सड़क मार्गो, कृषि और बागवानी भूमि को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। भारी बरसात के कारण श्रद्धालुओं की सुरक्षा के मद्देनजर श्रीखंड महादेव, किन्नौर कैलाश और पवित्र मणिमहेश यात्रा रोकनी पड़ी है।

उन्होंने कहा कि 2023 में भी आपदा के लिए केंद्र से पर्याप्त राशि नहीं मिली जबकि प्रदेश सरकार ने अपने संसाधनों से 500 करोड़ रुपये की राहत प्रदान की। भाजपा नेता लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि केंद्र सरकार ने प्रदेश को करोड़ों रुपये की आर्थिक मदद जारी की है।

मंत्री ने कहा कि प्रदेश में 20 जून से 19 सिंतबर, 2025 तक 427 लोगों ने जान गंवाई है। 651 पक्के घर, 1012 कच्चे घर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए हैं जबकि 2287 पक्के और 4908 कच्चे घर आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं। 584 दुकानों व फैक्टरियों, 58 लेबर शेड, 7048 गौशलाएं और 104 घराट व श्मशान घाट क्षतिग्रस्त हुए हैं।

जगत सिंह नेगी ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में आपदा से क्षतिग्रस्त घरों के पुन: निर्माण के लिए देश में सबसे ज्यादा 7 लाख रुपये का अनुदान दिया जा रहा है जबकि केंद्र सिर्फ 1.30 लाख रुपये देता है। प्रदेश सरकार द्वारा कच्चे घरों के आंशिक नुकसान के लिए 1 लाख रुपये, पक्के घरों के आंशिक नुकसान के लिए 1 लाख रुपये, दुकान और ढाबे के नुकसान के लिए 1 लाख रुपये, गौशाला के नुकसान के लिए 50 हजार रुपये, कृषि और बागवानी भूमि की क्षति के लिए 10 हजार रुपये प्रति बीघा, गाय और भैंस की मृत्यु पर 55 हजार रुपये प्रदान किए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त घर के साजो सामान के नुकसान पर 70 हजार रुपये, किरायेदारों के सामान के नुकसान पर 50 हजार रुपये, मकान में गाद भर जाने पर 50 हजार रुपये, पूरी तरह से क्षतिग्रस्त पॉलीहाउस के लिए 25 हजार रुपये, गाद से प्रभावित कृषि और बागवानी भूमि के लिए 6 हजार रुपये प्रति बीघा, फसलों के नुकसान पर 4 हजार रुपये प्रति बीघा प्रदान किए जा रहे हैं।

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार कठिन आर्थिक हालात में भी प्रभावितों को हर संभव मदद दे रही है। सेब सीजन में अभी तक मार्केट में सवा दो करोड़ सेब की पेटियां पहुंच चुकी हैं। एमआईएस के तहत बागवानों से 67 हजार मीट्रिक टन सेब की खरीद की जा चुकी है। वहीं विपक्ष आपदा में भी राजनीतिक रोटियां सेंक रहा है और पराला मंडी को लेकर भाजपा नेता कह रहे हैं कि उनकी सरकार आते ही यूनिवर्सल कार्टन को बंद कर देगी।

उन्होंने कहा कि पटवारी, जेई और पंचायत सचिव गांवों में जाकर नुकसान का आकलन कर रिपोर्ट बना रहे हैं। सभी जिलों को अभी तक एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और मुख्यमंत्री राहत कोष से 270 करोड़ रुपये से ज्यादा की राशि दी जा चुकी है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि प्रभावितों के लिए मिली धनराशि पर भी बड़े भाजपा नेता कुंडली मारकर बैठ गए।

उन्होंने कहा कि आपदा में वर्ष 2023 में मनरेगा के तहत 1000 करोड़ रुपये और वर्ष 2024 में 500 करोड़ की धनराशि जारी की गई। मनरेगा से प्रदेश सरकार 150 दिन का रोजगार दे रही है। लेकिन नेता प्रतिपक्ष लगातार झूठ बोलकर प्रदेश की जनता को गुमराह कर रहे हैं। जगत सिंह नेगी ने कहा कि मंडी से सांसद ने राहत के तौर पर एक पैसा भी प्रभावितों की मदद के लिए नहीं दिया है।

300 एकड़ क्षेत्र में विकसित होगा आधुनिक औद्योगिक क्षेत्र:उद्योग मंत्री

शिमला/शैल। सोलन जिले के घीर औद्योगिक क्षेत्र में 300 एकड़ भूमि के उपयोग को लेकर रणनीति तैयार करने के लिए उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान की अध्यक्षता में गठित कैबिनेट उप-समिति की उच्च स्तरीय बैठक आयोजित हुई।

उद्योग मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार औद्योगिक विकास को गति देने और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए प्रतिबद्ध है। बैठक में विभिन्न विकास योजनाओं और उनसे जुड़ी वित्तीय व प्रबंधन संबंधी व्यवस्थाओं की विस्तार से समीक्षा की गई।

उन्होंने कहा कि 300 एकड़ भूमि पर आधुनिक बुनियादी ढांचा तैयार किया जाएगा, जिसमें विद्युत आपूर्ति, बेहतर जल प्रबंधन प्रणाली और हाई-स्पीड कनेक्टिविटी शामिल होगी, ताकि उद्योगों की स्थापना सुगमता से हो सके। इस परियोजना से राज्य की अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा और युवाओं व स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे।

विस्तृत चर्चा के उपरांत समिति ने अंतिम लागत-लाभ विश्लेषण तैयार करने का निर्णय लिया जिसे अगली बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा।

अतिरिक्त मुख्य सचिव आर.डी. नजीम ने परियोजना के लिए उपलब्ध विकल्पों के बारे में विस्तार से बताया।

अनाथ बच्चों का भविष्य संवार रही प्रदेश सरकार

शिमला/शैल। वर्तमान प्रदेश सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि अनाथ बच्चे भी समाज के अन्य बच्चों की तरह गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त कर सकें। इसी उद्देश्य से प्रदेश सरकार ने उन्हें राज्य के नामी शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश दिलाने की पहल की है। इस पहल के माध्यम से यह बच्चे, जिन्होंने कम उम्र में अपने माता-पिता को खो दिया और कभी अच्छी शिक्षा का सपना भी नहीं देख पाए थे, अब प्रतिष्ठित विद्यालयों में पढ़कर अपने सपनों को साकार करने का अवसर पा रहे हैं। अब अनाथ बच्चों को प्रदेश के नामी स्कूलों में दाखिला दिलाया जा रहा है। सोलन स्थित पाइनग्रोव पब्लिक स्कूल में चार, शिमला के तारा हॉल स्कूल में तीन और दयानन्द पब्लिक स्कूल में आठ अनाथ बच्चों का दाखिला करवाया गया है। सरकार बेहतर शैक्षणिक अवसर उपलब्ध करवाने के लिए अन्य प्रतिष्ठित विद्यालयों से भी संपर्क स्थापित कर रही है। इन बच्चों को रोजगारपरक उच्च शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता भी दी जा रही है ताकि वे आत्मनिर्भर बन सके।

पहले वे आपको अनदेखा करते हैं, फिर वे आप पर हंसते हैं, फिर वे आपसे लड़ते हैं, और फिर आप जीत जाते हैं।
.....महात्मा गांधी

सम्पादकीय

चुनाव आयोग की वकालत सरकार क्यों कर रही है?

चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता और पारदर्शिता पर एक लंबे समय से सवाल उठते आ रहे हैं जो अब वोट चोरी के आरोप तक जा पहुंचे हैं। ईवीएम मशीनों की अविश्वसनियता पर सबसे पहले लालकृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में भाजपा ने सवाल उठाये थे और एक पुस्तिका तक जारी कर दी थी। फिर डॉ. स्वामी ने सवाल उठाये और सर्वोच्च न्यायालय तक जा पहुंचे और इन मशीनों में वीवीपैट यूनिट जोड़ा गया। इसी दौरान आर.टी.आई. के माध्यम से यह सूचना बाहर आयी की उन्नीस लाख मशीने गायब हैं। यह मामला भी पुलिस जांच और अदालत तक गया। लेकिन इसका अन्तिम परिणाम क्या निकला आज तक सामने नहीं आ पाया है। हर चुनाव के बाद निष्पक्षता और पारदर्शिता पर देश के राजनीतिक दलों ने सवाल उठाये और चुनाव मत पत्रों के माध्यम से करवाये जाने की मांग रखी। एडीआर और अठारह राजनीतिक दलों ने सर्वोच्च न्यायालय में इस संदर्भ में दस्तक दी। सर्वोच्च न्यायालय ने मत पत्रों के माध्यम से चुनाव करवाये जाने के आग्रह को तो स्वीकार नहीं किया लेकिन यह प्रावधान कर दिया कि चुनाव प्रक्रिया का सारा डिजिटल रिकॉर्ड पैन्तालीस दिनों तक सुरक्षित रखा जायेगा और चुनाव में दूसरे या तीसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार को उपलब्ध करवाया जायेगा यदि वह चुनाव याचिका में जाता है और इस संदर्भ में आने वाले खर्च को जमा करवाता है। लेकिन चुनाव आयोग ने सर्वोच्च न्यायालय के इस प्रावधान की अनुपालन नहीं की। हरियाणा की एक विधानसभा का मामला पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालय जा पहुंचा। उच्च न्यायालय ने रिकार्ड उपलब्ध करवाने के निर्देश दिये। लेकिन इन निर्देशों के बाद इस आशय के नियमों में ही संशोधन करके रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं करवाया।

जब सर्वोच्च न्यायालय के ही निर्देशों की अनुपालन में इस तरह का व्यवहार आयेगा तो यह स्थिति किसी को भी चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता पर उठने वाले सवालों का पूरी गहनता के साथ पड़ताल करने को बाध्य कर देगा। इसी वस्तु स्थिति ने राहुल गांधी और उनकी टीम को इन सवालों की पड़ताल करने के लिये बाध्य किया। राहुल गांधी ने इस संदर्भ में जो तथ्यात्मक प्रमाण जनता के सामने रखे हैं उनको चुनाव आयोग ने बिना किसी जांच के ही खारिज करते हुये राहुल गांधी से इस में ज्ञापन पत्र मांग लिया। सवाल चुनाव आयोग पर उठे और उसकी वकालत में पूरी भाजपा उतर आयी। बिहार में करवायी गयी एस आई आर में पैंसठ लाख वोट डिलीट किये जाने का मामला उठा और केंद्र सरकार ने बिहार की पच्चहतर लाख महिलाओं को सीधे दस- दस हजार रुपए उनके बैंक खातों में ट्रांसफर करवा दिये। वोट चोरी के आरोप जिस दस्तावेजी प्रमाणिकता के साथ सामने आये हैं उससे यह एक जन आन्दोलन की शक्ल में बदलता नजर आ रहा है। इस संदर्भ में राहुल गांधी की जनसभाओं को रद्द करवाने की रणनीति पर सरकार आ गयी है। एक भाजपा प्रवक्ता पर यह आरोप लग रहा है कि उसने राहुल गांधी की छाती में गोली मार दिये जाने की बात मंच से कही है और केन्द्र सरकार इस आरोप पर चुप है।

वोट चोरी के आरोपों के साथ पिछले ग्यारह वर्षों में जो कुछ देश में घटा है वह सब सामने सवाल बनकर खड़ा होता जा रहा है। देश का युवा प्रतिवर्ष दो करोड़ नौकरियों के वायदे पर सवाल पूछ रहा है। आज जीएसटी में संशोधन करके महंगाई से राहत की बात की जा रही है। लेकिन इसी के साथ यह सवाल उठ रहा है कि जिन वस्तुओं पर नौ वर्ष पहले टैक्स जीरो था क्या उनके दाम आज उसी के बराबर हैं? हर चुनाव में किया गया वायदा आज व्यवहारिकता में जवाब मांगने लगा है। देश के सारे सार्वजनिक उपक्रम आज प्राइवेट हाथों में जा पहुंचे हैं। देश विश्व बैंक के कर्जदारों में पहले स्थान पर पहुंच गया है। इस बढ़ते कर्ज से महंगाई और बेरोजगारी ही बढ़ेगी यह तय है। देश का युवा जो आज सूचना प्रौद्योगिकी के कारण हर चीज की जानकारी रख रहा है और वही बेरोजगारी से सबसे ज्यादा पीड़ित है उस युवा के आक्रोश को दबाना आसान नहीं होगा। सवाल पूछने पर गोली मारने के विकल्प के मायने बहुत गंभीर और दूरगामी होंगे यह तय है।

कोर्ट के निर्णय के बाद वक्फ संशोधन विधेयक को मिली और अधिक स्वीकार्यता

गौतम चौधरी

अभी हाल ही में देश की सर्वोच्च अदालत के एक महत्वपूर्ण निर्णय के बाद बार फिर से वक्फ संशोधन विधेयक 2025 चर्चा के केन्द्र में आ गया है। 2025 का वक्फ़ संशोधन विधेयक क्यों महत्वपूर्ण है, इसको जानना बेहद जरूरी है। हालांकि इस मामले पर कई टिप्पणियां, आलेख और बहस समाचार के कई माध्यमों पर उपलब्ध हैं, बावजूद इसके इसकी और ज्यादा मिमांसा की जरूरत है। भारत में लगभग 8.72 लाख पंजीकृत वक्फ़ संपत्तियां हैं, जो 38 लाख एकड़ से अधिक क्षेत्र में फैली हुई हैं। ये संपत्तियां मूल रूप से सामुदायिक कल्याण के लिए समर्पित हैं। ये संपत्तियां मस्जिदों, दरगाहों, कब्रिस्तानों और धर्मार्थ विद्यालयों जैसी संस्थाओं के माध्यम से पूरे देश भर में फैली हुई हैं लेकिन दशकों से कुप्रबंधन, अतिक्रमण और अधूरी सर्वेक्षण प्रक्रियाओं के कारण इन संपत्तियों का बड़ा हिस्सा या तो बेकार पड़ा है, या फिर विवादों में उलझा हुआ है, जिससे ये अपने असली सामाजिक उद्देश्य पूरे नहीं कर पा रही हैं।

सरकारी रिपोर्टें बताती हैं कि गुजरात और उत्तराखंड जैसे राज्यों ने अब तक वक्फ़ संपत्तियों का संपूर्ण सर्वेक्षण पूरा नहीं किया है, जबकि उत्तर प्रदेश का 2014 का सर्वेक्षण अधूरा पड़ा है। इसी अस्पष्टता का फायदा उठाकर निजी पक्षों ने धोखाधड़ी से संपत्तियों का स्थानांतरण और अवैध कब्ज़ा कर लिया। इन चुनौतियों को दूर करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के अंतरिम आदेशों से समर्थित वक्फ़ (संशोधन) अधिनियम, 2025 लाया गया है, जो डिजिटलीकरण, पारदर्शिता और तेज़ कानूनी प्रक्रियाओं के ज़रिए वक्फ़ संपत्तियों को उनके धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा।

इस संशोधन के तहत वक्फ़ प्रबंधन का आधुनिकीकरण किया जाएगा। संपत्तियों का डिजिटलीकरण अनिवार्य होगा, जिससे एक केंद्रीकृत और पारदर्शी डाटाबेस तैयार होगा और धोखाधड़ी व कुप्रबंधन पर रोक लगेगी। संपत्तियों के नामांतरण (म्यूटेशन) को समय पर पूरा करना अब ज़रूरी होगा ताकि अतिक्रमण और विवादों से बचा जा सके। नियमित ऑडिट भी अनिवार्य होंगे ताकि वित्तीय पारदर्शिता बनी रहे और संपत्तियों का सही उपयोग हो। पहले वक्फ़ ट्रिब्यूनल का फ़ैसला अंतिम होता था, लेकिन अब नए कानून के तहत 90 दिनों के भीतर हाई कोर्ट में अपील की जा सकेगी। वक्फ़ बोर्डों में अब महिलाओं और विभिन्न मुस्लिम संप्रदायों, जैसे-शिया, सुन्नी और बोहरा के प्रतिनिधियों को शामिल करना अनिवार्य होगा, जिससे जवाबदेही और समावेशिता बढ़ेगी। इन सुधारों से लंबे समय से चली आ रही अपारदर्शिता और बहिष्करण की समस्या खत्म होगी और वक्फ़ संपत्तियों का उपयोग छात्रवृत्तियों, सामुदायिक आरोग्यशालाओं और मस्जिदों के रखरखाव जैसे कार्यों के लिए किया जा सकेगा।

राज्य स्तर पर उपलब्ध आंकड़े इन सुधारों की ज़रूरत को दर्शाते हैं। कर्नाटक में मार्च 2025 में राज्य के आवास और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ने बताया कि 4,108 वक्फ़ भूमि अतिक्रमण मामलों की पहचान हुई, जिनमें से 371 एकड़ भूमि मस्जिदों, कब्रिस्तानों और अशूरखानों सहित वापस ली गई। विजयपुरा ज़िले में 1,500 एकड़ के लिए बेदखली नोटिस जारी किए गए, जिन्हें बाद में 11 एकड़ पर संशोधित किया गया, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि सटीक रिकॉर्ड कितना ज़रूरी है। इंदौर में 2024 की भूमि पुनर्प्राप्ति कारवाई में 150 करोड़ रुपये की कीमत वाली 2.14 एकड़ भूमि वापस ली गई, जिसे 'पार्क एवेन्यू' नामक आवासीय कॉलोनी में अवैध रूप से विकसित किया गया था। प्रशासन ने बुलडोज़र चलाकर अवैध ढांचे हटाए और भूमि को दरगाह ट्रस्ट को सौंपा। तेलंगाना का वक्फ़ बोर्ड 3,000 एकड़ भूमि से जुड़े 3,500 मुकद्दमों में उलझा है, जिनमें से कई मामले निज़ाम काल के अप्रमाणित शीर्षकों के कारण हैं। उत्तर बंगाल में, बोर्ड अध्यक्ष जस्टिस एस. मुंशी के नेतृत्व में 2024 में सिलिगुड़ी के सेवक रोड पर वाणिज्यिक अतिक्रमण हटाए गए। केरल में वक्फ़ बोर्ड ने वायनाड ज़िले के थविंजल गांव में पांच परिवारों को नोटिस जारी किए, जिन्होंने 5.77 एकड़ में से 4.7 एकड़ भूमि पर खेती कर रखी थी।

इन उदाहरणों से साफ है कि अपूर्ण सर्वेक्षण, नामांतरण न होना और लंबी मुकद्दमेबाज़ी वक्फ संपत्ति के नियंत्रण में बाधा उत्पन्न कर रहा है। 2025 का संशोधन इन चुनौतियों को सीधे निशाना बनाता है। डिजिटाइज्ड रजिस्ट्रियों, समयबद्ध ऑडिट और तेज़ ट्रिब्यूनल प्रक्रिया के ज़रिए अब कई काम आसान हो जाएंगे। उदाहरण के तौर पर, कर्नाटक और तेलंगाना में हजारों मामले ट्रिब्यूनल आदेश लागू न होने के कारण अटके हैं उसमें तेजी आएगी। साथ ही इंदौर और सिलिगुड़ी की सफल पुनर्प्राप्तियां बताती हैं कि स्पष्ट कानूनी ढांचे से कितनी बड़ी संभावनाएं खुल सकती हैं। इंदौर में मात्र कुछ एकड़ वापस लेकर ही करोड़ों की सामाजिक संपदा बहाल हुई। कर्नाटक में पुनर्प्राप्त संपत्ति अब शिक्षा और स्वास्थ्य पर खर्च हो रही है। डिजिटलीकरण और नियमित ऑडिट से वक्फ़ बोर्ड बाज़ार दर पर लीज़ देकर राजस्व बढ़ा सकते हैं और यह पैसा छात्रवृत्तियों, क्लीनिकों और मस्जिदों के रखरखाव में लगाया जा सकता है।

हालांकि इस संशोधन में केंद्र को अधिक नियम बनाने की शक्ति मिली है लेकिन मुस्लिम समुदाय को इससे पीछे हटने की बजाये कानूनी रास्तों का इस्तेमाल करना चाहिए। समय पर अपील करना, खातों के प्रकाशन की मांग करना, डिजिटल पोर्टल पर प्रविष्टियों को ट्रैक करना और जहां लागू हो वहां सीएजी या निर्धारित ऑडिट का सहारा लेना चाहिए। इससे ऐसा रिकॉर्ड बनेगा जिसे अनदेखा करना कठिन होगा और छेड़छाड़ करना भी मुश्किल। यह व्यक्तिगत शिकायतों को संस्थागत जवाबदेही में बदल देगा, जिससे वक्फ़ प्रबंधन करने वालों अधिकारियों, मुतवल्लियों और बोर्ड से जुड़े अन्य एजेंसियों पर निगरानी बढ़ेगी।

निसंदेह, इन सुधारों के क्रियान्वयन में नौकरशाही की देरी और स्वार्थी समूहों का विरोध सामने आएगा। इसके लिए राजनीतिक इच्छाशक्ति और संसाधनों की ज़रूरत होगी, साथ ही समुदाय की भागीदारी भी आवश्यक होगी। इंदौर की 150 करोड़ की पुनर्प्राप्ति, सिलिगुड़ी के सर्वेक्षण-आधारित निष्कासन और केरल की कानूनी कारवाई जैसी हाल की सफलताएं दिखाती हैं कि जनता इस प्रक्रिया को स्वीकार कर रही है। आधुनिक जवाबदेही तंत्र और उपकरणों से लैस होकर, 2025 का संशोधन वक्फ़ बोर्डों में विश्वास बहाल करेगा। इसके लिए पूरे मुस्लिम समाज को एकत्र होकर परिवर्तन को स्वीकार करना चाहिए।

इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना के तहत जिला मंडी में 125 विद्यार्थी लाभान्वित

उच्च शिक्षा जारी रखने के लिए 24.53 लाख रूपये वितरित

हर बच्चे का उच्च शिक्षा का सपना पूरा हो और वह जीवन में बुलंदियों को छुये, इसके लिए प्रदेश सरकार द्वारा कई महत्वकांक्षी योजनाएं संचालित की जा रही हैं। इन्हीं में से एक इंदिरा गांधी

सुख शिक्षा योजना अनेकों बेसहारा व निराश्रित बच्चों के जीवन में उच्च शिक्षा की लौ जगा रही है।

इस वित्तीय वर्ष में मंडी जिला में इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना के तहत 18 से 27 साल आयु वर्ग के 125 विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा जारी रखने के लिए 24 लाख 53 हजार 939 रूपये अनुदान के रूप में प्रदान किए गए हैं। ये पात्र लाभार्थी प्रदेश के विभिन्न सरकारी उच्च शिक्षा एवं व्यावसायिक संस्थानों से बीटेक, एमटेक, एमबीबीएस और आईटीआई की पढ़ाई कर रहे हैं।

योजना के लाभार्थी पण्डोह निवासी तुषार ने बताया कि वह आईटीआई मंडी में टर्नर की ट्रेनिंग कर रहा है। उसके पिता का निधन हो चुका है। घर में माता, भाई तथा दादी ही हैं। माता सिलाई का काम करती हैं जबकि भाई पेंटर है। कठिन आर्थिक स्थिति के कारण परिवार उनकी उच्च शिक्षा का खर्चा नहीं उठा पा रहा था। ऐसे में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू की संवेदनशील पहल इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना उनकी सहायक बनी। इस योजना के तहत तुषार की शिक्षा का खर्च अब राज्य सरकार उठा रही है। ऐसी कल्याणकारी योजना आरंभ करने और उन जैसे जरूरतमंद युवाओं के सपने साकार करने के लिए उन्होंने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया है।

मंडी की अमृता, चतरोट की रोशनी देवी और बग्गी के शुभम बताते हैं कि उन्होंने आईटीआई मंडी से ब्यूटीशियन, सिलाई व कढ़ाई तथा इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम मेंटिनेंस (ICTTSM) ट्रेड में कोर्स किया है। उनकी पढ़ाई के लिए प्रदेश सरकार ने सहायता राशि दी है इसके लिए वे प्रदेश सरकार और विशेषतौर पर मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू के धन्यवादी हैं जिन्होंने अनाथ, असहाय, बेसहारा व गरीब बच्चों के उत्थान के लिए इस प्रकार की कल्याणकारी योजनाएं चलाई हैं।

इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना प्रदेश सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है जिसके तहत आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में नए अवसर प्रदान किए जा रहे हैं और उच्च शिक्षा ग्रहण करने के उनके सपनों को पूरा करने में मदद की जा रही है। यह योजना 03 सितम्बर, 2024 को आरम्भ की गई। योजना का उद्देश्य विधवा, निराश्रित व तलाकशुदा महिलाओं और दिव्यांग व्यक्तियों को उच्च शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है, ताकि वे फीस सहित अन्य शैक्षणिक व्यय वहन कर सकें।

इस योजना का लाभ लेने के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग के पास आवेदन करना होगा। वहीं इसके लिए पात्र महिला का अपने पति से 7 साल अलग रहने का भी रिकॉर्ड देना होगा। एक लाख से कम आय का वार्षिक प्रमाण पत्र, हिमाचली प्रमाण पत्र, पंचायत प्रधान की रिपोर्ट, परिवार नकल, आधार कार्ड नंबर, यदि पति की मृत्यु हो चुकी है, तो उसका मृत्यु प्रमाण पत्र भी इसके लिए अनिवार्य दस्तावेज रहेंगे।

विधवा, निराश्रित व तलाकशुदा महिलाएं, 70 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग व्यक्ति व एकल नारी योजना का लाभ लेने की पात्र होंगी। यह योजना उन छात्रों को शिक्षा प्राप्त करने में मदद कर रही है जो आर्थिक रूप से कमजोर पृष्ठभूमि से आते हैं। यह उनके लिए उच्च शिक्षा के नए रास्ते खोलती है और उनके बेहतर भविष्य की नींव है।

ऊना में बरसात में जलभराव की समस्या:सामूहिक प्रयास से समाधान की ओर

राजन कुमार शर्मा

ऊना जिला हिमाचल प्रदेश का एक सुंदर और कृषि प्रधान क्षेत्र है, लेकिन बरसात के मौसम में यहां जलभराव की समस्या गंभीर रूप से देखी जाती है। भारी वर्षा के कारण नालों और नदियों में पानी का स्तर बढ़ जाता है, जिससे सड़कों, खेतों और घरों में जलभराव हो जाता है। यह समस्या न केवल लोगों की दैनिक जीवनशैली को प्रभावित करती है, बल्कि स्वास्थ्य, यातायात और कृषि को भी नुकसान पहुंचाती है। जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश अपनी भौगोलिक स्थिति और निर्माण ढांचे के कारण हर वर्ष बरसात के मौसम में जलभराव (Water Logging) की समस्या से जूझता है। जब भारी वर्षा होती है तो शहर एवं ग्रामीण इलाकों में उचित जल निकासी तंत्र (Drainage System) के अभाव में सड़कों, गलियों और घरों के आसपास पानी भर जाता है। यह स्थिति आमतौर पर एक-दो सप्ताह तक ही रहती है, परंतु इन दिनों में नागरिकों को भारी असुविधा, यातायात अवरोध और स्वास्थ्य संबंधी खतरे झेलने पड़ते हैं।

समस्या की जड़:

1. भूगोल एवं स्थलाकृति (Geography - Topography) - ऊना का क्षेत्र अपेक्षाकृत समतल है, जिससे वर्षा का पानी प्राकृतिक रूप से शीघ्र नहीं निकल पाता।

2. अपर्याप्त जल निकासी प्रणाली- वर्तमान में नालियों एवं ड्रेनेज का जाल बरसाती पानी के दबाव को झेलने योग्य नहीं है।

3. अनियोजित निर्माण- आवासीय और व्यावसायिक भवनों का निर्माण बरसात की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर नहीं किया गया है।

4. जनता में जागरूकता की कमी' राष्ट्रीय राजमार्गो, सड़कों व आवासीय कॉलोनियों तथा रिहायशी शहरी क्षेत्रों में बनी हुई जल निकासी/नालियों में कुछ लोगों द्वारा घरेलू कचरा व गंदगी डालने से अवरोध उत्पन्न होता है। जो कि बाद में जल भराव जैसी समस्याओं को उत्पन्न करने के लिए जिम्मेदार होता है।

5. सड़क और यातायात बाधित होना: जलभराव के कारण सड़कें पानी में डूब जाती हैं, जिससे आवागमन कठिन हो जाता है।

6.फसलों को नुकसान: खेतों में पानी जमा होने से फसलों की पैदावार घटती है।

7. स्वास्थ्य समस्याएं: जलभराव के कारण मच्छरों का प्रकोप बढ़ता है, जिससे मलेरिया, डेंगू जैसी बीमारियां फैलने का खतरा बढ़ जाता है।

8. सार्वजनिक असुविधा: जलभराव के कारण स्कूल, अस्पताल और अन्य आवश्यक सेवाओं तक पहुंच प्रभावित होती है।

समाधान की दिशा:

जलभराव की समस्या का स्थायी समाधान तभी संभव है जब प्रशासन, स्थानीय जनता और विभिन्न संगठनों द्वारा मिलकर काम किया जाए। हम सभी को यह स्वीकार करना होगा कि यह सिर्फ बरसात के दिनों की समस्या नहीं, बल्कि हर वर्ष दोहराया जाने वाला संकट है। इसका समाधान केवल प्रशासन पर छोड़ना पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि समाज, पंचायतें, नगर निकाय, तकनीकी विशेषज्ञ और स्वयंसेवी संस्थाओं को मिलकर काम करना होगा।

1. स्थायी जल निकासी प्रणाली का निर्माण- योजनाबद्ध ढंग से मजबूत नालियों एवं स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज की व्यवस्था करना आवश्यक है।

2. सामुदायिक भागीदारी- मोहल्ला स्तर पर जल निकासी व्यवस्था की नियमित सफाई एवं रखरखाव सुनिश्चित करना।

3. भविष्य के निर्माण में सावधानी- भवन निर्माण के समय वर्षा जल निकासी का ध्यान रखना, ताकि नई कॉलोनियां समस्या को और न बढ़ाएं।

4. तकनीकी अध्ययन- विशेषज्ञों द्वारा ऊना की स्थलाकृति और वर्षा पैटर्न का वैज्ञानिक अध्ययन कर दीर्घकालिक योजना बनाना व जल निकासी

5. व्यवस्था का सुधार: नालों और नदियों की नियमित सफाई और नदियों के मार्ग का पुन: निर्धारण किया जाए ताकि पानी का प्रवाह सुचारू हो सके।

6. स्थानीय स्तर पर जल प्रबंधन: गांवों और मोहल्लों में जल संचयन एवं निकासी के लिए सामूहिक प्रयास किए जाएं।

7. जन जागरूकता अभियान: जनता को जलभराव की समस्या, उसके कारणों और समाधान के उपायों के प्रति जागरूक किया जाए।

8. वृक्षारोपण और पर्यावरण संरक्षण: जलभराव कम करने के लिए पेड़ लगाने और मिट्टी के कटाव को रोकने के उपाय अपनाए जाएं।

9. आपदा प्रबंधन की तैयारी: बरसात के मौसम में आपातकालीन सेवाओं का बेहतर प्रबंध हो और लोग सतर्क रहें।

हमारी जिम्मेदारी:

जिला इंटर एजेंसी ग्रुप (DIAG), व जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, ऊना के सहयोग से इस जटिल समस्या के समाधान की दिशा में गंभीरता से कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध है। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, ऊना का मानना है कि यदि अभी से योजनाबद्ध ढंग से कदम उठाए जाएं, तो अगली बरसात से पहले इस चुनौती पर काफी हद तक काबू पाया जा सकता है। बरसात का मौसम हमारे लिए प्राकृतिक आशीर्वाद है, परंतु यदि हम समय रहते तैयारी न करें तो यही वरदान अभिशाप बन सकता है। इसलिए अब समय आ गया है कि हम सब मिलकर ऊना को जलभराव की समस्या से मुक्त करने के लिए ठोस और स्थायी कदम उठाएं।

निष्कर्ष:

ऊना में जलभराव की समस्या एक जटिल लेकिन सामूहिक प्रयास से सुलझाई जा सकने वाली चुनौती है। यदि प्रशासन, समाज और नागरिक एक साथ मिलकर उचित योजनाओं को अमल में लाएं, तो जलभराव से उत्पन्न असुविधाओं को कम किया जा सकता है और प्राकृतिक आपदाओं का सामना बेहतर ढंग से किया जा सकता है। सामूहिक भागीदारी ही इस समस्या का स्थायी समाधान है।

हिमाचल में सहकार से ग्रामीण समृद्धि के खुल रहे नए द्वार

सहकारी समितियों में नवाचार और युवा भागीदारी की जा रही सुनिश्चित

सहभागिता की मूल भावना से शुरू हुआ सहकार आन्दोलन वर्तमान में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने में संबल प्रदान कर रहा है। हिमाचल प्रदेश में सहकारिता का एक लम्बा इतिहास रहा है। शुरूआती दौर में सहकारी समितियां मुख्यत: कृषि, ऋण, आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति तक सीमित थी, लेकिन प्रदेश सरकार के दक्ष प्रयासों से इनका विस्तार डेयरी, बागवानी, विपणन, हस्तशिल्प और अन्य अनेक क्षेत्रों में हुआ है। प्रदेश में सहकारिता की सफलता का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि यहां के लगभग 20 लाख लोग सहकारिता से जुड़े हुए हैं। राज्य में सतत सहकारी विकास मॉडल को अपनाया गया है। प्रदेश की सहकारी समितियां देश के समक्ष अनुकरणीय उदाहरण पेश कर रही हैं।

वर्तमान में प्रदेश में पांच हजार से अधिक सहकारी समितियां पंजीकृत हैं। 2,287 प्राथमिक कृषि ऋण समितियां ग्रामीण वित्तीय समावेशन का कार्य कर रही हैं। इस दिशा में 6 नई बहुउद्देशीय समितियां भी गठित की गई हैं।

प्रदेश में 76 समितियां मत्स्य पालन समुदाय, 971 डेयरी समितियां दूध उत्पादन एवं वितरण, 441 समितियां बचत एवं ऋण सुविधा और 386 प्राथमिक विपणन सहकारी समितियां किसानों को अपनी उपज बेचने में मदद कर रही हैं।

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू के दूरदर्शी नेतृत्व में सहकारी समितियों के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश सहकारी नीति का उद्देश्य प्रदेश को आत्मनिर्भर राज्य के रूप में स्थापित करना है। प्रदेश में सहकारिता के लिए मजबूत और सतत् सहकारी प्रणाली का विकास किया जा रहा है। प्रदेश में सहकारिता में संस्थागत सुधार अवधारणा समावेशन, नवाचार और युवा भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है।

हिमाचल में डेयरी क्षेत्र में सहकारी समितियां सफलता की नई इबारत लिख रही हैं। प्रदेश में 971 दुग्ध सहकारी समितियों में 35,720 महिलाएं सक्रिय हैं। इस क्षेत्र में 561 नई समितियां गठित की गई हैं। हिमाचल, देश का पहला राज्य है जिसने दूध पर किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया है। प्रदेश में लगभग 38 हजार 400 किसानों से रोज़ाना औसतन 2 लाख 33 हजार लीटर गाय का दूध खरीदा जा रहा है। भैंस पालकों से 61 रुपये प्रति लीटर की दर से दूध खरीदा जा रहा है।

सरकार की महत्त्वाकांक्षी हिम गंगा योजना के प्रथम चरण में हमीरपुर और कांगड़ा जिला में उल्लेखनीय कार्य किए जा रहे हैं। इस योजना का उद्देश्य दूध खरीद, प्रसंस्करण और विपणन में गुणात्मक सुधार करना है। इसके अतिरिक्त योजना के तहत नई दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों का गठन, दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्रों की स्थापना और मौजूदा संयंत्रों का उन्नयन भी किया जाएगा।

प्रदेश में मिल्डफेड के संचालन के लिए कांगड़ा, मंडी, नाहन, शिमला और नालागढ़ पांच इकाइयों में विभाजित किया गया है। मिल्कफेड दूध खरीद प्रसंस्करण और विपणन की दिशा में सुधार के दृष्टिगत कार्य कर रहा है।

प्रदेश की महिलाएं सहकारिता के बल पर वैश्विक मंच पर अपनी पहचान कायम कर रही हैं। ऊना में पांच हजार महिलाओं ने स्वयं वूमेन फेडरेशन बनाई है। महिला स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों को बड़ा बाजार उपलब्ध करवाने में हिम ईरा ब्रांड उल्लेखनीय भूमिका निभा रहा है। महिलाओं को स्वावलम्बी बनाने के लिए उन्हें फूड वैन भी उपलब्ध करवाई जाती हैं, जिसका संचालन महिलाओं द्वारा ही किया जाता है।

हिमाचल की संस्कृति को प्रदर्शित करते उत्पादों को बड़ा बाजार उपलब्ध करवाने के लिए ई-कामर्स बैवसाइट himira.co.in शुरू की गई है। इससे प्रदेश के बुनकरों, कारीगरों और उद्यमियों के उत्पादों को विस्तार मिल रहा है और ऑनलाइन बिक्री के माध्यम से उनकी आर्थिकी भी सुदृढ़ हो रही है।

सहकारिता ने ग्रामीण स्वरोजगार को प्रोत्साहन, युवाओं को स्थानीय स्तर पर अवसर और प्रदेश की आत्मनिर्भरता की दिशा में अहम योगदान दिया है। हिमाचल प्रदेश में सहकारिता आन्दोलन का विकास न केवल आर्थिक सशक्तिकरण का माध्यम बना है बल्कि यह सामाजिक समरसता और साझेदारी का प्रतीक भी है।

हिमाचल में सहकारी समितियां सशक्त ग्रामीण अर्थव्यवस्था का आधार हैं। प्रदेश सरकार इन समितियों को सशक्त बनाकर आत्मनिर्भर हिमाचल की संकल्पना को साकार करने के लिए निरंतर प्रयासरत है।

यूनेस्को के विश्व बायोस्फीयर रिजर्व नेटवर्क का हिस्सा बनी स्पीति घाटी

शिमला/शैल। लाहौल-स्पीति जिले की स्पीति घाटी को यूनेस्को के प्रतिष्ठित मानव और बायोस्फीयर (एमएबी) कार्यक्रम के तहत देश के

पहले शीत मरुस्थल बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में मान्यता दी गई है। यह मान्यता औपचारिक रूप से 26 से 28 सितंबर, 2025 तक चीन के हांगझोउ में आयोजित 37वीं अंतरराष्ट्रीय समन्वय परिषद (एमएबी-आईसीसी) की बैठक के दौरान प्रदान की गई। इस समावेशन के साथ, भारत के अब एमएबी नेटवर्क में कुल 13 बायोस्फीयर रिजर्व हो गए हैं।

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू के नेतृत्व में राज्य सरकार के दक्ष व व्यावहारिक प्रयासों से यह उपलब्धि हासिल हुई है। उन्होंने इस क्षेत्र की अनूठी पारिस्थितिकी, जलवायु, संस्कृति और विरासत के साथ-साथ उन स्थानीय समुदायों के प्रति प्रतिबद्धता पर निरंतर बल दिया है, जो पीढ़ियों से प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाकर रह रहे हैं। वन विभाग और वन्यजीव विंग को बधाई देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, 'राज्य सरकार विकासात्मक गतिविधियों और प्रकृति के बीच सामंजस्य सुनिश्चित करते हुए, जलवायु परिवर्तन के युग में हिमाचल प्रदेश की समृद्ध प्राकृतिक और सांस्कृतिक विरासत और नाजुक पारिस्थितिकी के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। स्पीति कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व 7,770 वर्ग किलोमीटर के भौगोलिक क्षेत्र में फैला है, जिसमें संपूर्ण स्पीति वन्यजीव प्रभाग 7,591 वर्ग किलोमीटर और लाहौल वन प्रभाग के आसपास के हिस्से शामिल हैं, जिनमें बारालाचा दर्रा, भरतपुर और सरचू (179 वर्ग किलोमीटर) शामिल हैं।

3,300 से 6,600 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह क्षेत्र, भारतीय हिमालय के ट्रांस-हिमालय जैव-भौगोलिक प्रोविंस के अंतर्गत आता है। रिजर्व को तीन क्षेत्रों में संरचित किया गया है, 2,665 वर्ग किलोमीटर कोर ज़ोन, 3,977 वर्ग किलोमीटर बफर ज़ोन और 1,128 वर्ग किलोमीटर ट्रांजिशन जोन। यह पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान, किब्बर वन्यजीव अभयारण्य, चंद्रताल आर्द्रभूमि और सरचू मैदानों को एकीकृत करता है। यह विषम जलवायु, स्थलाकृति और नाजुक मिट्टी द्वारा निर्मित एक अद्वितीय शीत रेगिस्तानी पारिस्थितिकी तंत्र को दर्शाता है। यह क्षेत्र पारिस्थितिक रूप से समृद्ध है, जिसमें 655 जड़ी-बूटियों, 41 झाड़ियों और 17 वृक्षों की प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें 14 स्थानिक और 47 औषधीय पौधे शामिल हैं। यह सोवारिग्पा/आमची चिकित्सा परंपरा के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। यहां के वन्यजीवों में 17 स्तनपायी प्रजातियां और 119 पक्षी प्रजातियां शामिल हैं, जिनमें हिम तेंदुआ एक प्रमुख प्रजाति है। अन्य उल्लेखनीय प्रजातियों में तिब्बती भेड़िया, लाल लोमड़ी, आइबेक्स, और नीली भेड़, हिमालयन स्नोक क, गोल्डन ईगल, बेयर्ड गिद्ध शामिल हैं। यह 800 से अधिक नीली भेड़ों का आश्रय स्थल है।

प्रधान मुख्य अरण्यपाल (वन्यजीव) अमिताभ गौतम ने कहा मान्यता प्राप्त होने के पश्चात हिमाचल के ठंडे रेगिस्तान वैश्विक संरक्षण मानचित्र पर मजबूती से उभरेंगे। इससे अंतरराष्ट्रीय अनुसंधान सहयोग बढ़ेगा, स्थानीय आजीविका को और सुदृढ़ करने के लिए ज़िम्मेदार इको-टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा और नाजुक हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र में जलवायु परिवर्तन के प्रति भारत के सकारात्मक प्रयासों को बल मिलेगा।

समुदायिक – सहभागिता आधारित राजीव गांधी वन संवर्धन योजना शुरू

शिमला/शैल। हरित भविष्य सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने 100 करोड़ रुपये के प्रावधान के साथ समुदायिक-सहभागिता आधारित राजीव गांधी वन संवर्धन योजना शुरू की है। इसका लक्ष्य हरित आवरण बढ़ाना, रोज़गार सृजन और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मज़बूत करना है। यह योजना वर्ष 2027 तक 'हरित और स्वच्छ हिमाचल' के निर्माण में सहायक साबित हो रही है।

प्रदेश सरकार के एक प्रवक्ता ने कहा कि इस योजना के तहत सरकार ने नवीन कदम उठाते हुए पौधरोपण में जनसहभागिता को सुनिश्चित किया है। प्रदेश के महिला मंडल, युवक मंडल, स्वयं सहायता समूह और अन्य पंजी त समुदाय-आधारित समूह इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। ये समूह वन क्षेत्रों की बंजर भूमि में पौधरोपण और रख-रखाव, दोनों गतिविधियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। वन आवरण बढ़ाने के लिए, इस योजना से राज्य के हज़ारों ग्रामीणों के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोज़गार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि राजीव गांधी वन संवर्धन योजना राज्य सरकार का एक दूरदर्शी कदम है जो जलवायु परिवर्तन, पारिस्थितिक स्वास्थ्य और ग्रामीण समुदायों के आर्थिक उत्थान, सभी को एक साथ संबोधित करता है।

योजना के तहत पारिस्थितीकीय आवश्यकता व पहुंच के आधार पर प्रत्येक समुदाय आधारित संगठन को पांच हेक्टेयर तक खाली अथवा बंजर वन भूमि आवंटित की जाएगी। वन विभाग अपनी नर्सरियों से गुणवत्तायुक्त पौधों की आपूर्ति सुनिश्चित करेगा और सफल पौधरोपण सुनिश्चित करने के लिए नियमित निगरानी और मूल्यांकन सुनिश्चित करेगा। इस योजना की सफलता के लिए प्रत्येक समुदाय आधारित संगठन को प्रति हेक्टेयर 1. 20 लाख रुपये या भूमि के क्षेत्रफल के अनुपात में धनराशि प्रदान की जाएगी। एक हेक्टेयर से छोटे क्षेत्रों के लिए धनराशि आनुपातिक आधार पर दी जाएगी। इसके अतिरिक्त, रोपे गए पौधों की सत्यापित जीवित प्रतिशतता दर के आधार पर 1.20 लाख रुपये प्रति हेक्टेयर की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी।

पौधों की जियो-टैगिंग और वास्तविक समय की निगरानी के लिए एक समर्पित पोर्टल का उपयोग किया जाएगा और सभी भुगतान इलेक्ट्रॉनिक रूप से समुदाय आधारित संगठनों के बैंक खातों में किए जाएंगे, जिससे पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित होगी। इस योजना का उद्देश्य न केवल कार्बन पृथक्करण, जल संरक्षण और मृदा स्थिरीकरण में सुधार के माध्यम से पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना है अपितु आजीविका के अवसर पैदा कर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करना है। इससे वन बहाली में सक्रिय भागीदारी के माध्यम से स्थानीय समुदाय सशक्त होंगे, स्थानीय प्रजातियों के पौधरोपण से जैव विविधता को बढ़ावा मिलेगा और लोगों में वन संरक्षण के प्रति जागरूकता आएगी।

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के दृष्टिकोण के अनुसार, यह योजना प्रदेश में हरित आवरण को बढ़ाने में मील पत्थर साबित होगी। इस योजना से जन-सहभागिता के साथ वन क्षेत्रों में देशी प्रजातियों के पौधे लगाकर जैव विविधता को बढ़ावा दिया जाएगा और इससे समूह वित्तीय रूप से भी सशक्त होंगे।

स्वास्थ्य संस्थानों के निर्माण कार्यों को गति देने के लिए 24.44 करोड़ रुपये की अतिरिक्त धनराशि स्वीकृत

शिमला/शैल। स्वास्थ्य विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि प्रदेश सरकार ने राज्य के स्वास्थ्य संस्थानों की ईमारतों के निर्माण कार्यों में तेजी लाने के लिए 24.44 करोड़ रुपये की अतिरिक्त धनराशि स्वीकृत की है। इस निर्णय से चिकित्सा सेवाओं को मजबूती मिलेगी और राज्य के लोग लाभान्वित होंगे।

उन्होंने बताया कि जिला कुल्लू में कैथ लैब के लिए 7.92 करोड़ रुपये, नागरिक अस्पताल नादौन में टाईप-3 और टाईप-4 आवास और अतिरिक्त खण्ड के निर्माण के लिए 2.64 करोड़ रुपये और नागरिक अस्पताल कंडाघाट के लिए 1.98 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए है। इसी तरह, जिला ऊना के नागरिक अस्पताल अंब के लिए 3.30 करोड़ रुपये और कांगड़ा जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, हमीरपुर में चिकित्सकों के आवास, हमीरपुर देहरा में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भवन, देहरा नागरिक अस्पताल में चिकित्सों के आवास, जिला कांगड़ा के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनखंडी के भवन और गगरेट अस्पताल के लिए 1.32 करोड़ रुपये प्रति संस्थान जारी किए गए हैं।

उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू के दूरदर्शी नेतृत्व में वर्तमान प्रदेश सरकार लोगों को घर-द्वार के निकट आधुनिक तथा गुणवत्तापूर्ण विशेषज्ञ चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। राज्य के चिकित्सा संस्थानों में स्वास्थ्य अधोसंरचना को मजबूत करने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। राज्य के चिकित्सा महाविद्यालयों में आधुनिक तकनीकयुक्त चिकित्सा उपकरण उपलब्ध करवाए जा रहे हैं ताकि मरीजों को विशेषज्ञ चिकित्सा सेवा के लिए प्रदेश से बाहर जाने की आवश्यकता न पड़े।

मंत्रिमंडल की बैठकों में लिए गए 1039 निर्णय पूरी तरह कार्यान्वित:जगत सिंह नेगी

शिमला/शैल। राजस्व, बागवानी, जनजातीय विकास एवं जन शिकायत निवारण मंत्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडलीय उप-समिति की बैठक आयोजित हुई। इस दौरान मंत्रिमंडल की बैठकों में लिए गए निर्णयों के कार्यान्वयन को लेकर विस्तृत समीक्षा की गई।

बैठक में अवगत करवाया गया कि 13 जनवरी 2023 से 30 जून 2025 तक मंत्रिमंडल की बैठकों में 1087 निर्णय लिए गए। मंत्रिमंडल की बैठकों में लिए गए 1039 निर्णयों को सफलतापूर्वक क्रियान्वित किया जा चुका है।

शेष बचे 48 निर्णयों को लेकर चर्चा की गई जिनमें वन विभाग, राजस्व, परिवहन, उद्योग, वित्त, पर्यटन, शहरी विकास, लोक निर्माण विभाग, स्वास्थ्य, कार्मिक, श्रम रोजगार एवं विदेशी नियोजन, बागवानी, कृषि, पशुपालन, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, सामान्य प्रशासन, पंचायती राज, जलशक्ति विभाग और डिजिटल प्रौद्योगिकी एवं शासन विभाग से जुड़े निर्णय शामिल हैं।

जगत सिंह नेगी ने अधिकारियों को इन निर्णयों को समयबद्ध कार्यान्वित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल की बैठकों में लिए गए निर्णयों के कार्यान्वयन में देरी के लिए कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

उन्होंने कहा कि एक सप्ताह बाद मंत्रिमंडलीय उप-समिति की बैठक में फिर समीक्षा की जाएगी ताकि प्रदेश की जनता को मंत्रिमंडल की बैठकों में लिए गए निर्णयों का शीघ्र लाभ मिले।

प्रदेश में 49,160 लंबित राजस्व मामलों का निपटारा, 467.71 करोड़ रुपये की वसूली

शिमला/शैल। लोगों को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने हिमाचल प्रदेश सद्भावना विरासत मामले निपटान योजना 2025 (चरण-2) शुरू की है। इस योजना के अन्तर्गत करदाताओं को वैट, केन्द्रीय बिक्री कर, प्रवेश कर, मनोरंजन कर और विलासिता कर से जुड़े पुराने बकाया मामले का एकमुश्त निपटारा करने का अवसर दिया जा रहा है। यह योजना 1 सितम्बर से 30 नवम्बर, 2025 तक तीन माह के लिए लागू रहेगी।

योजना का उद्देश्य लंबित मुकद्दमों में कमी लाना और ऐसे मामलों से राजस्व अर्जित करना है जो वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लागू होने से पुराने कानूनों के अन्तर्गत लंबित हैं। इस चरण में पैट्रोलियम उत्पादों से जुड़े मामले (वर्ष 2020-21 तक) भी शामिल होंगे। इससे गैर जीएसटी कर कानूनों के अन्तर्गत लंबित मामलों को निपटाने में मदद मिलेगी। आबकारी एवं कराधान विभाग ने सभी बकायादारों से इस अवसर का लाभ उठाने और राजस्व को सुदृढ़ करने का आहवान किया है।

इस समय प्रदेश में लगभग 30 हजार मामले लंबित हैं। इस योजना के दूसरे चरण में राज्य को करीब 10 करोड़ रुपये की आय की आय होने की उम्मीद है। इससे पहले भी इस तरह की चार योजनाएं चलाई गई थीं जिनके उत्साहजनक परिणाम रहे। वर्ष 2020 में हिमाचल प्रदेश (विरासत मामले निपटान) योजना नियमों के तहत 14,814 मामले निपटाए गए और 393. 21 करोड़ रुपये की वसूली हुई। इसके उपरांत वर्ष 2021 में हिमाचल प्रदेश स्वर्ण जयंती (विरासत मामले निपटान) योजना के अन्तर्गत 20,642 मामले निपटाए गए और 19.16 करोड़ रुपये प्राप्त हुए। इसके अलावा, सद्भावना विरासत मामले निपटान योजना-2025 के अन्तर्गत 12,813 मामले निपटाए गए और 40.31 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ जबकि एक अन्य चरण में 898 मामलों का निपटारा किया गया और 15.03 करोड़ रुपये की प्राप्ति हुई।

इस प्रकार, अब तक कुल 49,160 से अधिक मामले निपटाए जा चुके हैं जिससे प्रदेश सरकार को 467.71 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ है।

एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत एसजेवीएन द्वारा शिमला में पौधारोपण अभियान का आयोजन

शिमला/शैल। भूपेन्द्र गुप्ता, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के नेतृत्व में, एसजेवीएन ने पर्यावरण संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए

आज शिमला में पौधारोपण अभियान का आयोजन किया। राष्ट्रव्यापी : एक-पेड़-मां-के-नाम अभियान के तहत यह पौधारोपण अभियान शिमला के सुराला गांव के निकट चमियाना रोड पर आयोजित किया गया।

अजय कुमार शर्मा, निदेशक (कार्मिक) तथा सिपन कुमार गर्ग, निदेशक (वित्त) ने पौधारोपण कर वृक्षारोपण अभियान का उद्घाटन किया। अजय कुमार शर्मा ने कहा कि एसजेवीएन ने दिसंबर 2025 तक 4,500 पौधे लगाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। इसके तहत ओक, रोडोडेंड्रोन और खुबानी जैसी विभिन्न प्रजातियों के 300 पौधे लगाए गए हैं।

इस अवसर पर, सिपन कुमार गर्ग ने कर्मचारियों को प्रोत्साहित किया कि वे राष्ट्र के ग्रीन कवर के विस्तार में निरंतर प्रयास सुनिश्चित करने हेतु ऐसे प्रयासों में सक्रिय रूप से भाग लें।

पौधारोपण अभियान में एसजेवीएन, कारपोरेट मुख्यालय, शिमला के विभागाध्यक्षों और वरिष्ठ अधिकारियों की सक्रिय भागीदारी रही। माननीय प्रधानमंत्री द्वारा आरंभ किया गया :एक-पेड़-मां-के-नाम अभियान, पारिस्थितिकीय अपेक्षाओं को संबोधित करता है और पर्यावरण संरक्षण के संबंध में जागरूकता को बढ़ावा देता है।

महिला विकास निगम के निदेशक मंडल की बैठक में शिक्षा ऋण सीमा 75,000 से बढ़ाकर 3 लाख रुपये करने को मंज़ूरी

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश महिला विकास निगम के निदेशक मंडल ने आयोजित 51वीं निदेशक मंडल बैठक में शिक्षा ऋण की सीमा को मौजूदा 75,000 रुपये से बढ़ाकर 3 लाख रुपये करने को स्वीकृति प्रदान की। स्वरोजगार योजना के तहत रोजगार ऋण की सीमा को मौजूदा एक लाख रुपये से बढ़ाकर तीन लाख रुपये करने को भी स्वीकृति दी गई।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. (कर्नल) धनीराम शांडिल ने बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि इस उल्लेखनीय वृद्धि से निगम द्वारा कार्यान्वित योजनाओं का लाभ उठाने के लिए अधिक महिलाएं आकर्षित होंगी। उन्होंने राज्य में नियमित अंतराल पर सुनियोजित और व्यवस्थित जागरूकता शिविरों के आयोजन की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि आर्थिक रूप से पिछड़ी महिलाओं को लाभ प्रदान करने के लिए निगम द्वारा विभिन्न योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं। इन शिविरों के माध्यम से महिलाओं को निगम द्वारा संचालित महिला कल्याण के कार्यों से जुड़ी जानकारी प्रदान करने में सहायता मिलेगी।

उन्होंने कहा कि 10 अप्रैल, 1989 को गठित निगम का मुख्य उद्देश्य बिना किसी भेदभाव के महिलाओं का सामाजिक और आर्थिक उत्थान सुनिश्चित करना है। निगम महिलाओं को शिक्षा ग्रहण करने के लिए न्यूनतम 4 प्रतिशत ब्याज दर पर और रोज़गार के लिए 6 प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण प्रदान करता है। ऋण प्राप्त करने के लिए आवश्यक पात्रता के तहत महिलाओं की पारिवारिक आय प्रतिवर्ष एक लाख रुपये से कम होनी चाहिए। महिला विकास निगम ने अपनी स्थापना से अब तक 13,551 महिलाओं को लाभान्वित करते हुए 69.36 करोड़ रुपये से अधिक के ऋण प्रदान किए हैं। इसके अतिरिक्त लाभार्थी महिलाओं को 2.64 करोड़ रुपये से अधिक की ब्याज सब्सिडी प्रदान की गई है।

निदेशक मंडल ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए निगम की प्रस्तावित कार्य योजना और वित्तीय वर्ष 2021-22 तथा 2022-23 के बैलेंस शीट सहित विभिन्न मुद्दों को स्वीकृति प्रदान की।

बैठक में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता सचिव आशीष सिंहमार और निदेशक मंडल के अन्य सदस्य उपस्थित थे।

सरकार ने कोटला बड़ोग में नशा मुक्ति केंद्र के लिए 5.34 करोड़ रुपये किए मंज़ूर

शिमला/शैल। राज्य सरकार ने नशे की लत में फंसे लोगों के पुनर्वास के लिये सिरमौर जिले के कोटला बड़ोग में पर्याप्त जगह के साथ 100 बिस्तरों वाले अत्याधुनिक नशा मुक्ति केंद्र के निर्माण के लिए 5.34 करोड़ रुपये मंज़ूर किए हैं। इसके अलावा, मंडी, लाहौल-स्पीति, चंबा, सोलन और सिरमौर जिलों में पांच नए नशा मुक्ति केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। राज्य के स्वास्थ्य संस्थानों में परामर्श और शीघ्र हस्तक्षेप के लिए 108 नए दिशा केंद्र स्थापित किए गए हैं, जहां आशा कार्यकर्ताओं, चिकित्सक और मनोचिकित्सकों को विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है। वर्तमान में कुल्लू, ऊना, हमीरपुर और कांगड़ा में पुरुषों के लिए चार नशामुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र संचालित हैं, जबकि कुल्लू ज़िले में रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा महिलाओं के लिए एक अलग केंद्र संचालित किया जा रहा है।

दीर्घकालिक तैयारी के लिए, राज्य सरकार नीति आयोग, पीजीआई और स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर नशा निवारण एवं पुनर्वास हेतु राज्य कार्य योजना तैयार कर रही है। जन जागरूकता प्रयासों के तहत, राष्ट्रीय नशा निवारण अभियान के तहत 5.76 लाख से अधिक लोगों को नशीली दवाओं के दुरुपयोग के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक किया गया है। इस अभियान में 5,660 गांवों और 4,332 शैक्षणिक संस्थानों को शामिल किया गया है, जिसमें किशोरों, युवाओं, महिलाओं और आम जनता पर विशेष ध्यान दिया गया है।

सरकार ने हिमाचल प्रदेश संगठित अपराध (रोकथाम एवं नियंत्रण) विधेयक, 2025 पारित किया है, जिसमें नशीली दवाओं की तस्करी में शामिल लोगों के लिए मृत्युदंड, आजीवन कारावास, 10 लाख रुपये तक का जुर्माना और अवैध रूप से अर्जित संपत्ति की ज़ब्ती सहित कठोर दंड का प्रावधान है। नशीले पदार्थों के अवैध निर्माण पर अंकुश लगाने के लिए, सरकार उपमंडलाधिकारी के नेतृत्व में एक विशेष निगरानी समिति का भी गठन कर रही है, जिसमें आबकारी, पुलिस और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी शामिल होंगे, जो संहिता संबंधी औपचारिकताओं की निगरानी करेंगे और मादक दवाओं के लाइसेंस रखने वाली दवा कंपनियों का विनियमन करेंगे।

लोक निर्माण विभाग के परिधि एवं विश्राम गृहों का किया जाएगा मासिक गुणवता प्रमाणन

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार ने रैंकिंग के उद्देश्य से पहली बार परिधि और विश्राम गृहों की नियमित रूप से हर महीने जांच और निरीक्षण करने का निर्णय लिया है। यह प्रक्रिया वर्ष में 12 बार पूर्ण की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार सभी आगंतुकों को एक समान और सर्वोतम सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है और इन परिसरों को अधिकारियों/कर्मचारियों के अलावा पर्यटकों के लिए भी खोला गया है।

उन्होंने कहा कि अन्य किसी भी राज्य में इस तरह की पहल नहीं हुई है जहां परिधि और विश्राम गृहों के नियमित निरीक्षण का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि भविष्य में अन्य विभागों के विश्राम गृहों में भी इस व्यवस्था को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा।

इस संबंध में सचिव लोक निर्माण डॉ. अभिषेक जैन ने बताया कि लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह के मार्गदर्शन में विभाग द्वारा एक विस्तृत जांच सूची तैयार की है ताकि मेहमानों को बेहतर अनुभव और सुविधाएं सुनिश्चित की जा सकें।

उन्होंने कहा कि निरीक्षण में फर्श, विद्युत प्रणाली, लिफ्ट, बगीचे, पार्किंग स्थल अनाधिकृत पार्किंग की जांच व प्रकाश व्यवस्था आदि को शामिल किया गया है। इसके अलावा किसी भी ऐसी व्यवस्था जिसकी समय-समय पर मुरम्मत या बदलने की आवश्यकता हो उसकी भी नियमित देखरेख सुनिश्चित की जाएगी।

उन्होंने कहा कि कनिष्ठ अभियंता और सहायक अभियंता (एसडीओ) (पीडब्ल्यूडी) हर महीने इन विश्राम गृहों व परिधि गृहों का निरीक्षण करेंगे। इनमें छत, दिवार, सीलन/रिसाव, अग्निशमन यंत्रों की स्थिति जैसी सभी संरचनाओं की जांच शामिल होगी। वर्तमान में प्रदेश के 275 पीडब्ल्यूडी विश्राम गृहों में 1335 कमरे और 21 परिधि गृहों के 222 कमरे आगंतुकों के लिए उपलब्ध हैं।

विद्युत उपकरणों की स्थिति, पानी की उपलब्धता, सीवरेज प्रणाली, वाटर प्यूरिफायर आदि की ग्रेडिंग बहुत अच्छे से लेकर खराब आदि मानकों के आधार पर की जाएगी। इसके अलावा निरीक्षण की जांच संबंधित अनुभाग के अधिशासी अभियंता द्वारा की जाएगी और उच्च अधिकारियों के विश्लेषण के लिए ऑनलाइन माध्यम से अपलोड की जाएगी।

डॉ. जैन ने कहा कि विश्राम गृह के फर्नीचर, रसोई व शौचालय की सफाई और स्वच्छता, बिस्तर, रजाई, तकिये आदि की गुणवत्ता एवं उपलब्धता की भी जांच नियमित रूप से की जाएगी। उन्होंने कहा कि निरीक्षण प्रारूप में 50 बिंदु शामिल किए गए हैं जो सभी अधिकारियों के पास उपलब्ध होंगे और विभाग की वेबसाइट http://hppwd.hp.gov.in पर भी उपलब्ध होंगे।

सचिव ने कहा कि जब ठहरने के शुल्क सभी श्रेणियों के लिए सम्मान रूप से बढ़ाए गए हैं तो विभाग का दायित्व है कि आगंतुकों को सभी सुविधाएं सम्मान रूप से उपलब्ध करवाई जाए। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन बुकिंग प्रणाली पहले से ही लागू कर दी गई है और अब विश्राम गृहों व परिधि गृह में आगंतुकों के लिए उपलब्ध होंगे। इसके लिए हर विश्राम और परिधि गृह में दिशा सूचक पट्टिकाएं लगाई जाएगी।

उन्होंने कहा कि इन प्रयासों से न केवल आगंतुकों की संख्या में वृद्धि होगी बल्कि विभाग की विश्वसनीयता और भी बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि स्वच्छता और रख-रखाव में सर्वोतम ग्रेडिंग पाने वाले विश्राम गृह या परिधि गृह को तिमाही आधार पर पुरस्कृत किया जाएगा जिसमें स्टाफ के कर्मचारियों का व्यवहार भी शामिल होगा।

डीबीएस पार्किंसंस रोग से पीड़ित रोगियों के उपचार की एक न्यूरोसर्जिकल प्रक्रिया

शिमला/शैल। डीप ब्रेन स्टिमुलेशन (डीबीएस) एक न्यूरोसर्जिकल प्रक्रिया है जिसमें नियंत्रित विद्युत आवेगों

को मस्तिष्क में पहुंचाने के लिए इलेक्ट्रोड युक्त एक उपकरण प्रत्यारोपित किया जाता है। डॉ निशित सावल ने बताया कि डिप्रेशन से पीड़ित जिन पर दवाओं का कोई असर नहीं हो रहा हो उनके लिये वेगल नर्व स्टिमुलेशन सर्जरी (वीएनएस) एक छोटी सर्जरी है जिसमें छाती के बाई ओर एक पतला इलेक्ट्रोड प्रत्यारोपित किया जाता है। इस प्रणाली को एक चिकित्सक द्वारा असामान्य मस्तिष्क संकेतों में हस्तक्षेप करके लक्षणों को नियंत्रित करने के लिए समायोजित किया जाता है।

डॉ निशित सावल ने कहा की डीप ब्रेन स्टिमुलेशन पार्किंसंस रोग के रोगियों में सुधार करता है। हाथ, बाजू, सिर का कांपना और चलने में कठिनाई जैसे लक्षण इस सर्जरी के बाद कम हो जाते हैं, इसके अलावा दवा भी कम हो जाती है और वह अपना सामान्य जीवन फिर से शुरू करने में सक्षम होते है।

फोर्टिस अस्पताल मोहाली उत्तर भारत (एनसीआर के बाहर) का एकमात्र अस्पताल है जो डीबीएस के माध्यम से पार्किंसंस रोग, डिस्टोनिया, आवश्यक कंपन और अटैक्सिया के उपचार के लिए 24x7 सुविधाएं प्रदान करता है। इसके अलावा, फोर्टिस मोहाली उत्तर भारत का एकमात्र अस्पताल है जो वेगल नर्व स्टिमुलेशन (वीएनएस) प्रदान करता है, जिसे मिर्गी और अवसाद के लिए खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) द्वारा अनुमोदित किया गया है।

मुख्य सचिव ने मलबा डंपिंग स्थलों को चिन्हित करने के निर्देश दिए

शिमला/शैल। मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने संबंधित अधिकारियों को राज्य में उपयुक्त मलबा डंपिंग स्थलों को चिन्हित करने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए वर्ष 2023 और वर्ष 2025 की प्राकृतिक आपदाओं से सबसे अधिक प्रभावित होने वाले जिलों पर विशेष ध्यान देने के लिए कहा गया है।

मुख्य सचिव यहां आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत गठित राज्य कार्यकारी समिति (एसईसी) की 26वीं बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में पिछली एसईसी बैठकों के दौरान जारी विभिन्न निर्देशों पर की गई कार्यवाही रिपोर्ट की समीक्षा और पुष्टि करने पर विशेष बल दिया गया।

मुख्य सचिव ने कहा कि मलबा डंपिंग स्थलों को चिन्हित करने में मंडी, कुल्लू, चंबा और शिमला जिलों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। उन्होंने लोक निर्माण विभाग सचिव को प्रभावी योजना बनाने और इसका कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए वन, जल शक्ति और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) आदि विभागों के साथ समन्वय स्थापित करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अब मलबा हटाने की अनुमति देने का अधिकार जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों (डीडीएमए) को दिया गया है, जो पहले राज्य स्तर पर था।

उन्होंने कहा कि समिति ने 2015 के दिशा-निर्देशों और बांध सुरक्षा अधिनियम, 2021 के प्रावधानों के अनुसार, संबंधित बांध अधिकारियों द्वारा पूर्व चेतावनी प्रणाली की स्थापना पर भी चर्चा की। हिमाचल प्रदेश में 25 बड़े बांधों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका हैं जबकि पांच निर्माणाधीन हैं।

बैठक में राष्ट्रीय भूस्खलन जोखिम शमन कार्यक्रम (एनएलआरएमपी) के तहत 139 करोड़ रुपये की प्रारंभिक परियोजना रिपोर्ट पर भी विचार-विमर्श किया गया, जिसे राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) को प्रस्तुत किया जाएगा। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय आपदा शमन कोष (एनडीएमएफ) के माध्यम से वन अग्नि जोखिम प्रबंधन योजना (एमएसएफएफआरएम) के लिए 8.16 करोड़ रुपये की प्रारंभिक परियोजना रिपोर्ट को समिति से अनुमोदन दिलाने पर चर्चा हुई।

सक्सेना ने कहा कि मंडी जिले में सार्वजनिक स्थलों से 46,988 घन मीटर मलबा हटाने के लिए एसडीआरएफ/एनडीआरएफ कोष से 78.76 लाख रुपये की राशि के उपयोग को भी पूर्वानुमोदन के लिए समिति के समक्ष रखा गया है।

बैठक में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया रिजर्व (एनडीआरआर) की तर्ज पर राज्य आपदा प्रतिक्रिया रिजर्व की स्थापना के लिए प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई।

आरट्रैक के 35वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में बैंड प्रदर्शन और 'रन फॉर एक्सीलेंस' का आयोजन

शिमला/शैल। आर्मी ट्रेनिंग कमांड (आरट्रैक) ने अपने 35वें स्थापना दिवस के तत्वावधान में 27 और 28 सितंबर, 2025 को आकर्षक कार्यक्रमों का आयोजन किया। इस मौके पर शानदार बैंड प्रदर्शन और रन फॉर एक्सीलेंस आकर्षण का केंद्र रहे। ये कार्यक्रम सामुदायिक सहभागिता को बढ़ावा देने और उत्कृष्टता का जश्न मनाने के उद्देश्य से आयोजित किए गए।

ऐतिहासिक रिज मैदान पर 27 सितंबर को भारतीय सेना सिम्फनी बैंड ने मंत्रमुग्ध कर देने वाला प्रदर्शन किया। जिसमें सैन्य संगीत व लेकर बॉलीवुड संगीत की विविध रचनाएं प्रस्तुत की गई।

लेफ्टिनेंट जनरल देवेंद्र शर्मा, पीवीएसएम, एवीएसएम, एसएम, जनरल ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ, आरट्रैक ने प्रतिभाशाली सैनिक संगीतकारों को सम्मानित किया।

उन्होंने 28 सितंबर को आरट्रैक मुख्यालय द्वारा आयोजित रन फॉर एक्सीलेंस का शुभारम्भ भी किया।

भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान से रिज तक तीन किलोमीटर मार्ग पर विभिन्न ट्रूप उनके परिवार और बच्चों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया, जिससे आरट्रैक समुदाय की एकता, गर्व और भाईचारे की भावना स्पष्ट रूप से प्रदर्शित हुई। सेना कमांडर ने प्रतिभागियों की सराहना करते हुए विशेषकर आज के डिजिटल युग में फिट और स्वस्थ रहने के महत्व पर बल दिया। ये कार्यक्रम आरट्रैक के स्थापना दिवस समारोह के उपलक्ष्य में आयोजित किए जा रहे कार्यक्रमों का हिस्सा हैं, जो 1 अक्तूबर, 2025 को आयोजित किया जाएगा।

आरट्रैक भारतीय सेना के सात कमांड में से एक है, जो देशभर में स्थापित 34 प्रशिक्षण प्रतिष्ठानों के माध्यम से संस्थागत प्रशिक्षण प्रदान करते हैं।

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक श्री बलदेव शर्मा द्वारा ऋचा प्रिंटर्ज एण्ड पब्लिशर्ज़ रिवोली बस अड्डा लक्कड़ बाजार शिमला से प्रकाशित व मुद्रित दूरभाष: 0177-2805015, 94180-15015 फैक्स: 2805015

उद्योग मंत्री ग़लत आंकड़े देकर प्रदेश को बरगलाने के प्रयास बंद करें:रणधीर शर्मा

शिमला/शैल। उद्योग मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान पर प्रदेश मीडिया प्रभारी एवं भाजपा विधायक रणधीर शर्मा ने हमला बोलते

हुये कहा कि उन्हें अपनी जानकारी दुरुस्त करनी चाहिए और झूठ बोल कर अपनी नाकामी छिपाने और प्रदेश को बरगलाने के प्रयास बंद करने चाहिए। उन्होंने कहा कि मंत्री हर्षवर्धन चौहान प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि केंद्र सरकार द्वारा मात्र 4253 करोड़ रुपए केंद्र सरकार द्वारा हिमाचल को मिले हैं जबकि विधान सभा में इसी सत्र में दिए गए जवाब में सरकार बताती हैं कि केंद्र द्वारा हिमाचल प्रदेश को 2022 से 2025 बीच ही 3250 करोड़ रुपए आपदा राहत के तौर पर मिले हैं। इसके अलावा 2023 की आपदा के लिए 2006 करोड़ रुपए का विशेष पैकेज़ प्रदेश को मिला है। जिसकी पहली किस्त के तौर पर 451 करोड़ 44 लाख रुपए हिमाचल प्रदेश को मिल चुके हैं। यदि 2006 करोड़ भी जोड़ लिया जाये तो तह धनराशि 5250 करोड़ रुपए होती है। इसके अलावा 12 सितम्बर 2025 को एनडीआरएफ के एडवांस के तौर पर हिमाचल को 198 करोड़ और एनडीएमएफ के एडवांस के तौर पर लगभग 10 करोड़ रूपए प्रदेश को और मिल चुके हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब हिमाचल के दौरे पर आये तो उन्होंने 1500 करोड़ रुपए के आपदा राहत पैकेज अलग से दिये। हिमाचल प्रदेश को आपदा राहत के लिए नकद धनराशि के रूप में दिया गया यह आंकड़ा ही 7000 करोड़ का है। जो कि मात्र पिछले 3 साल के अंदर दिया गया है। ये सारे आंकड़े सरकार द्वारा ही विभिन्न महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म पर रखे गये हैं। फिर किस हिसाब से संसदीय कार्य एवं उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान 5 साल में मात्र 4350 करोड़ रुपये देने की बात कर रहे हैं।

रणधीर शर्मा ने कहा कि 14 वीं विधानसभा के नौवें सत्र के 20 अगस्त 2025 को जयराम ठाकुर द्वारा पूछे गए सवाल (प्रश्न संख्या के 3038) के जवाब में सरकार द्वारा बताया गया था की 2022 से 2025 के दौरान हिमाचल प्रदेश को केंद्र द्वारा राज्य आपदा मोचन निधि (एसडीआरएफ) के तहत 1280 करोड़ रुपए, राज्य आपदा शमन निधि (एसडीएमएफ) से 320 करोड़ रुपए प्राप्त हुए। इस अवधि में राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि (एनडीआरएफ) से 1639 करोड़ और राष्ट्रीय आपदा शमन निधि (एनडीएमएफ) के तहत 9.45 करोड़ रुपए मिले। 2023 ही आपदा के लिए केंद्र सरकार द्वारा 2006 करोड़ रुपए का विशेष पैकेज जारी किया गया है जिसकी पहली किस्त के रूप में 451 करोड़ 44 लाख रूपये मिल गए हैं। सरकार द्वारा यह भी बताया गया कि इस दौरान प्रदेश के कुल 54 हज़ार 808 आपदा प्रभावितों को 307 करोड़ रूपये की राहत राशि जारी की गई है। जबकि सरकार द्वारा सिर्फ 2023 के आपदा के लिए ही 4500 करोड़ के स्पेशल पैकेज की घोषणा की गई थी। सरकार की आदत के अनुसार यह स्पष्ट है कि इन आंकड़ों में भी सरकार ने कुछ न कुछ हेराफेरी करके केंद्र के सहयोग को कम ही दिखाया होगा। इसके बाद भी संसदीय कार्यमंत्री उस आंकड़े को झुठला रहे हैं जो कि उनकी देखरेख में ही विधानसभा के पटल पर रखा गया था।

भाजपा नेता ने कहा कि इसी तरह 2024 के शीत कालीन सत्र में विपिन परमार द्वारा पूछे गये सवाल के जवाब में 19 दिसम्बर 2024 को यह बताया गया था कि मात्र एक साल आठ महीनें की समयावधि में केंद्र द्वारा हिमाचल प्रदेश को 23 हज़ार 566 करोड़ रुपए की धनराशि दी गई है। जिसमें से 2023-24 के लिए 14 हज़ार 943 करोड़ रुपए और वर्ष 2024-25 नवम्बर तक 8 हज़ार 623 करोड़ रुपए मिले। ये आंकड़े भी विधानसभा में रखे गये थे इसका मतलब यह भी संसदीय कार्यमंत्री हर्षवर्धन चौहान की जानकारी में होंगे इसके बाद भी उनके द्वारा इस तरह की गलतब्यानी करना ठीक नहीं है। यहां भी सरकार ने चालाकी से केंद्र द्वारा भेजी गई बहुत सारी धनराशि के आंकड़े छुपाने की कोशिश की ही है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि सरकार के वरिष्ठ मंत्री यह बताएं कि वह सदन में झूठ बोल रहे थे या प्रेस कॉन्फ्रेंस में झूठ बोल रहे हैं। हर्षवर्धन चौहान को मंत्री होने के नाते अपनी जानकारी दुरुस्त रखनी चाहिए। इसलिए केंद्र द्वारा भरपूर समर्थन दिए जाने के बाद भी राज्य द्वारा उसे नकारने को लेकर हर्षवर्धन चौहान माफी मांगें, और जिन अधिकारियों ने गलत आंकड़े देकर उन्हें बरगलाया है उनके खिलाफ़ भी उन्हें कारवाई करनी चाहिए।

जीएसटी में हुए बदलाव से हिमाचल को नहीं होगा एक पैसे का भी घाटा:सत्ती

शिमला/शैल। विधायक एवं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भाजपा सतपाल सिंह सत्ती ने हिमाचल सरकार के मंत्री राजेश धर्माणी के ब्यान जिसमें उन्होनें जीएसटी 2.0 लागू होने के कारण हिमाचल के वित्तीय घाटे में चले जाने की बात कही है, पर आपत्ति

जताते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी व कांग्रेस के नेता आम जनता के हितों के प्रति कभी भी गंभीर नहीं होते और जनहित के निर्णयों की आलोचना करना इनकी आदत सी बन गई है। इनका एक ही काम है केवल विरोध के लिये विरोध करना।

भाजपा नेता ने कहा कि केन्द्र में यूपीए की सरकार के समय में टैक्स प्रणाली में पारदर्शिता नहीं थी और किसी-किसी वस्तु पर तो टैक्स 45 प्रतिशत तक लगाये गये थे, टैक्स के नाम पर लूट-खसूट होती थी और उस समय भारत की अर्थव्यवस्था को दुनिया की सबसे कमजोर अर्थव्यवस्था माना जाता था। 2014 के बाद जब से केन्द्र में मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार बनी है तब से लेकर आज तक भारतीय अर्थव्यवस्था में लगातार सुधार दिखाई देता है।

भाजपा नेता ने कहा कि देश में जब जीएसटी लागू हुआ था तो 4 स्लैब, 5 प्रतिशत, 12 प्रतिशत, 18 प्रतिशत और 28 प्रतिशत रखे गए थे जिससे टैक्स प्रणाली में सुधार के साथ-साथ पारदर्शिता भी आई, परिणामस्वरूप भारत की अर्थव्यवस्था जो कांग्रेस की सरकार के समय 11वें पायदान पर थी, आज चौथे पायदान पर है और अगले दो सालों में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगी। भारतीय अर्थव्यवस्था के इस अद्वितीय सुधार का अगर श्रेय किसी को जाता है तो केन्द्र की मोदी सरकार को जाता है।

सतपाल सत्ती ने कहा कि देश में जब जीएसटी लागू हुआ था तो कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी इसे गब्बर सिंह टैक्स कहते थे और इसका पूरजोर विरोध करते थे और आज जब केन्द्र की मोदी सरकार ने जीएसटी के 4 स्लैबों में बदलाव कर केवल 2 स्लैब 5 प्रतिशत और 12 प्रतिशत कर दिया है तो हिमाचल के कांग्रेसी नेता जीएसटी में किए गए बदलाव से हिमाचल में 1000 करोड़ के वित्तीय घाटे की बात करते हैं। जबकि हकीकत यह है कि जीएसटी में हुए बदलाव से हिमाचल को एक पैसे का भी घाटा नहीं होगा उल्टे प्रदेश को जीएसटी और आईजीएसटी से प्रतिवर्ष आय में 14 प्रतिशत की वृद्धि होगी। उन्होनें कहा कि कांग्रेस के नेताओं के ब्यानो में विरोधाभास स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। कांग्रेस की केवल एक ही नीति है जनहित के हर निर्णयों का विरोध करना।

भाजपा नेता ने कहा कि जीएसटी की नई दरों के लागू होने से आम जनता को रोजमर्रा की चीजों में काफी लाभ मिल रहा है और आम जनता तथा देश का व्यापारी वर्ग केन्द्र के इस निर्णय से बेहद खुश नजर आ रहा है। दीवाली के मौके पर केन्द्र सरकार का देशवासियों के लिए ये एक बेहतरीन तोहफा है।

सतपाल सत्ती ने कहा कि नेक्सट जेन जीएसटी लागू होने से भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था को अधिक मजबूती एवं गति मिलेगी और यह रिफॉर्म देश के लिए एक ऐतिहासिक आर्थिक उपलब्धि साबित होगा।